



# राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

भारत सरकार एवं राज्य  
सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र  
जारी करने के संबंध में विभिन्न  
महत्वपूर्ण परिपत्र एवं दिशा निर्देश

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/

53802-34

जयपुर दिनांक

10/7/18

समस्त जिला कलक्टर

विषय- भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों /परिपत्रों की प्रतिया भिजवाने के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगत लेख है कि वर्तमान में जिलो में पदस्थापित उपखण्ड अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं। जैसा कि विदित है जाति प्रमाण पत्र एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है एवं उक्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं राजकीय सेवाओं में नियोजन आरक्षण के प्रावधानों के अन्तर्गत दिया जाता है। अतः इस दृष्टिकोण को मध्यनजर रखते हुये भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने वाली संस्थाओं तथा नियुक्ति हेतु नियोजकों के लिये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश /परीपत्र जारी किये गये है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.स.	परिपत्र क्रमांक तथा दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	35/72-आर.यू(एससीटीवी) 02 मई 1975	धर्म परिवर्तन एवं दत्तक ग्रहण संबधित दिशा-निर्देश	1-4
2.	12025/2/76-एससीटीवी-1 दिनांक 22 मार्च 1977	अनुसूचित जाति जनजाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण	5-7
3.	प0 15(21)कार्मिक/क-5/77 जयपुर दिनांक 6 मार्च 1978	अन्तर्जातिय विवाह के युगलों की जाति प्रमाण पत्र संबधित दिशा निर्देश (परिशिष्ट क से ड: तक)	8-17
4.	12025/1/82एससीएण्डबीसी डी दिनांक 29 जून 1982	अनुसूचित जाति जनजाति को जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबध में।	18-19
5.	बीसी-16014/1/82एससीएण्डबीसीडी दिनांक 18 नवम्बर 1982	अन्य राज्य से माईग्रेट होकर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में।	20
6.	बीसी-16014/1/82एससीएण्डबीसीडी दिनांक 06अगस्त 1984	अन्य राज्य से माईग्रेट होकर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में।	21-22
7.	बीसी-16014/1/82एससीएण्डबीसीडी दिनांक 22 फरवरी 1985	अन्य राज्य से माईग्रेट होकर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में।	23
8.	एफ11(08)( )आरएण्डपी/सकवि / 22422-48.दिनांक 04 अप्रैल 1990	माईग्रेट होने पर जाति प्रमाण के संबध में।	24-25

9.	एफ11(08)( )आरएण्डपी/सकवि / 86895-931 दिनांक 08 नवम्बर 1994	गैर हिन्दु वर्ग के व्यक्तियों को अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में।	26-27
10.	एफ11(25)(06)आरएण्डपी/सकवि / 305 दिनांक 03 जनवरी 2000	रजपूत, पायक, रामगढ़ीया जाति के संबध में स्पष्टीकरण	28-29
11	एफ 11(141)आरएण्डपी/सकवि / 43566-635 दिनांक 13 नवम्बर 2000	उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन व स्वीकृति	30-31
12	एफ 09(08)डीओपी/ए-5/2000 दिनांक 05 मार्च 2001	अन्य पिछडा वर्ग को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण	32-33
13	प.9/17/कार्मिक/क-5/199 5 दिनांक 21 अक्टूबर 2002	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण	34
14.	36022/1/2007 -ईएसटीटी दिनांक 20 मार्च 2007	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों के नौकरियों में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबध में।	35-36
15	एफ 11(08)( )आरएण्डपी/सान्याअवि / 9334-68 दिनांक 24 फरवरी 2009	अनुसूचित जाति जनजाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में स्पष्टीकरण	37
16.	प.6(10)प्र.सु.वि./अनु-3/2011 दिनांक 18 मार्च 2011	फर्जी/शंकास्पद जाति प्रमाण पत्र के विरुद्ध अपील कर निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन करने के आदेश।	38-40
17	एफ 11( )आरएण्डपी/सान्याअवि/12 7376-409 दिनांक 24 जनवरी 2013	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध मे दिशा निर्देश	41-60
18	प.6(10)प्र.सु.वि./अनु-3/2011 दिनांक 23 जुलाई 2015	फर्जी/शंकास्पद जाति प्रमाण पत्र के विरुद्ध अपील कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन करने के आदेश।	61-62
19	एफ11(0) एससीएसटीओबीसीएसबीसी/जा.प.प्र./सान्याअवि/ 15/ 54159 दिनांक 09 सितम्बर 2015	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध मे दिशा निर्देश	63-86
20	एफ11(0) एससीएसटीओबीसीएसबीसी/जा.प.प्र./सान्याअवि/ 15/63606-726 दिनांक 20 अक्टूबर 2015	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध मे दिशा निर्देश	87
21	No-36011/1/2012-Est(Re) दिनांक 08-10-2015 एवं 14.03.2016	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबध में	88-91

22	प.6(10)प्र.सु.वि./अनु-3/2011 दिनांक 18.10.2016	फर्जी/शंकास्पद जाति प्रमाण पत्र के विरुद्ध अपील कर निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन करने के संशोधित आदेश।	92-93
23	एफ11(0) एससीएसटीओबीसीए सबीसी/जा.प.प्र./सान्याअवि/ 15/पार्ट-3/ 7201 दिनांक 21 फरवरी 2017	स्कूल स्तर पर कक्षा 5-से 8 तक जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।	94-95
24	एफ11(0) एससीएसटीओबीसीए सबीसी/जा.प.प्र./सान्याअवि/ 15/पार्ट-3/ 10232 दिनांक 03 मार्च 2017	जाति प्रमाण पत्र ऑन लाईन जारी करने संबंधित परिपत्र	96
25	एफ11(0) एससीएसटीओबीसीए सबीसी/जा.प.प्र./सान्याअवि/ 15/पार्ट-3/ 31927 दिनांक 05 जून 2017	स्कूल स्तर पर कक्षा 5 से 8 तक जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत संशोधित परिपत्र।	97-103
26	एफ11(0) एससीएसटीओबीसीए सबीसी/जा.प.प्र./सान्याअवि/ 15/पार्ट-3/ 37363 दिनांक 30 जून 2017	अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में परिपत्र	104-105
27	एफ11(125) /आरएण्डपी/सकवि 5353 दिनांक 23 जनवरी 2018	दरोगा वजीर रावणा राजपूत को ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण	106
28	एफ11(8) आरएण्डपी/डीडीबीसी/ सान्याअवि /2018 /12733-65 दिनांक 15 फरवरी 2018	माईग्रेट होने पर जाति प्रमाण के संबंध में।	107-117
29	एफ 11(125)एमबीसी/ आरएण्डपी/ सान्याअवि/ 15265 दिनांक 23.02.2018	अतिपिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।	118
30	एफ 11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/15633 दिनांक 27.02.2018	अतिपिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में संशोधित आदेश।	119
31	एफ 11(125) (12)(13) (14) ओबीसी / सान्याअवि/46236 दिनांक 12.06.2018	पुजारी सेवक जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण	120-121
32	एफ 11(125)ओबीसी/नागारची-नमा मी / सान्याअवि/2013/48859 दिनांक 22.06.2018	नगारची दमामी जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण	122-123

उक्त दिशा निर्देश/परिपत्र आपको पूर्व में भी समय समय पर भिजवाये जाते रहे हैं। इसी अनुक्रम में उक्त दिशा निर्देश /परिपत्र की प्रतियों का सेट आपको पुनः भिजवाया जा रहा है। कृपया उक्त समस्त दिशा निर्देश /परिपत्रों का एक-एक सेट आपके जिले में पदस्थापित समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने स्तर से छायाप्रति करवा कर अविलम्ब भिजवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा समस्त संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व तथा किन्ही नियोक्ताओं /शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया जाता है तो तत्काल निर्धारित समय सीमा में संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को इस संबंध में बार बार स्मरण पत्र प्राप्त होते रहते हैं कि जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित जिला कलक्टर द्वारा समय पर नहीं किया जाता है तथा रिपोर्ट समय पर नहीं भिजवायी जाती है, इससे आवेदकों एवं नियोक्ताओं /शैक्षणिक संस्थाओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त सारणी अनुसार प्रेषित समस्त दिशा निर्देश /परिपत्रों का भलि-भाति अध्ययन कर निर्धारित समय सीमा में एवं नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया जाना सुनिश्चित करे।

सलंगन :- उपरोक्तानुसार

(जे.सी.महान्ति)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/

जयपुर दिनांक

प्रतिलिपी :-

53835-36

10/02/18

1. ए.सी.पी. मुख्यावास जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त समस्त परिपत्रों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
2. गार्ड फाईल

(डॉ.समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

5

No. 35/1/72-R.U. (SCT.V)

Government of India|Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs|Grih Mantralaya

To  
The Chief Secretaries of all State Governments  
and Union Territory Administration.

New Delhi-110001, Dated the 2 May, 1975/

12. Vaisakha, 1897.

Subject: Issue of Scheduled Castes and Scheduled  
Tribe certificates.

Sir,

I am directed to state that complaints are often received that Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates are given to persons who do not in fact belong to a Scheduled Caste or Scheduled Tribes. It is necessary, therefore, that the Certificate issuing authorities should make a proper verification before they actually issue such a certificate.

2. In this connection a set of points which should be taken into account are enclosed for the guidance of those empowered to issue Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates. It is requested that these instructions may be circulated amongst them.

Yours faithfully,

(O. K. MOORTHY)

Director General, BCW

No. 35/1/72-R.U. (SCT.V), New Delhi-110001  
dated the 2 May, 1975/12 Vaisakha, 1897

Copy forwarded for necessary action to:—

1. All Ministries|Depts. of the Govt. of India.
2. All attached and subordinate offices of M.H.A.
3. The Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011.
4. The Deptt. of Personnel and Administrative Reforms, Estt. (SCT) Section, New Delhi.
5. The Commissioner for Scheduled Caste and Scheduled Tribe, Ramakrishnapuram, New Delhi.

(O. K. MOORTHY)

Director General, BCW

Government of India|Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs|Grih Mantralaya

Enclosure to circular letter No. 35/1/72-R.U. (SCT.V)  
dated the April, 1975|Vaisakha, 1897

Issue of Scheduled Caste and Tribe Certificate-Points  
to be observed.

1. General: (Applicable in all cases)

Where a person claims to belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by birth it should be verified:—

- (i) that the person and his parents actually belong to the community claimed;
- (ii) that this community is included in the Presidential Orders specifying the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to the concerned State.
- (iii) that the person belongs to that State and to the area within that State in respect of which the community has been scheduled;
- (iv) if the person claims to be a Scheduled Caste, he should profess either the Hindu or the Sikh religion;
- (v) if the person claims to be a Scheduled Tribe, he may profess any religion.

2. Cases of migration

- (i) where a person migrates from the portion of the State in respect of which his community is scheduled to another part of the same State in respect of which his community is not scheduled, he will continue to be deemed to be a member of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, as the case may be, in relation to that State;
- (ii) where a person migrates from one State to another, he may claim to belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe only in relation to the State to which he originally belonged and not in respect of the State to which he has migrated.

*Claims through marriage.*

The guiding principle is that no person who was not a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by birth will be deemed to be a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe merely because he or she had married a person belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

Similarly a person who is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe would continue to be a member of that Scheduled Caste or Scheduled Tribe as the case may be, even after his or her marriage with a person who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

*4. Cases of conversion and reconversion:*

(i) Where a Scheduled Caste person gets converted to a religion other than Hinduism or Sikhism and then reconverts himself back to Hinduism or Sikhism, he will be deemed to have reverted to his original Scheduled Caste, if he is accepted by the members of that particular caste as one among them.

(ii) In the case of a descendant of a Scheduled Caste convert, the mere fact of conversion to Hinduism or Sikhism will not be sufficient to entitle him to be regarded as a member of the Scheduled Caste to which his forefathers belonged. It will have to be established that such a convert has been accepted by the members of the caste claimed as one among themselves and has thus become a member of that caste.

*5. Cases of adoption:*

Great care has to be exercised in dealing with cases where a person claims to be Scheduled Caste on the ground that he has been adopted by a Scheduled Caste person. The validity of the adoption has to be clearly established before any caste certificate can be given. It is for the party to prove his claim by cogent and reliable evidence.

(i) The requirements of valid adoption are given in sections 6 to 11 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (relevant extracts of which are attached). The actual

giving and taking of the child in adoption is a mandatory requirement and therefore the adopted child is deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes and the child severs all ties with the family of his or her birth. Ordinarily, no child who has attained the age of 15 years or who is married can be given in adoption unless there is a custom or usage applicable to the parties.

(ii) In deciding whether an adoption is valid, the certificate issuing authority should satisfy himself that all the requirements of Law have been complied with. He should also take into account the behaviour of the child after adoption whether he physically lives with and is supported by his adoptive parents and receives no financial help from his original parents. In case these conditions are not satisfied, the certificate should be refused.

(iii) Where the case relates to an adoption of a married person or of a person of the age of 15 years and above, the certificate shall be required to be given by the Distt. Magistrate who shall, after making due enquiries as to the validity of the adoption and as to whether such adoption is permitted by a custom or usage applicable to the parties, make an endorsement to that effect on the certificate. Such custom or usage should have been continuously and uniformly observed for a long time and obtained the force of law among the Hindus of that particular area or that community, group or family provided that the custom or usage is certain and not unreasonable or apposed to public policy and in the case of custom or usage in respect of a particular family, that the custom or usage has not been discontinued. In addition it should be verified that all other conditions for a valid adoption, including the physical transfer of the adopted person to the family of the adoptive parents and that he has severed all ties with the original parents are fulfilled.

Extracts from The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956

(78 of 1956)

CHAPTER II—Adoption

Requisites of a valid adoption

6. No adoption shall be valid unless—

- (i) the person adopting has the capacity, and also the right, to take in adoption;
- (ii) the person giving in adoption has the capacity to do so,
- (iii) the person adopted is capable of being taken in adoption; and
- (iv) the adoption is made in compliance with the other conditions mentioned in this chapter.

Capacity of a male Hindu to take in adoption

7. Any male Hindu who is of sound mind and is not a minor has the capacity to take a son or a daughter in adoption:

Provided that, if he has a wife living, he shall not adopt except with the consent of his wife unless the wife has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.

EXPLANATION: If a person has more than one wife living at the time of adoption, the consent of all the wives is necessary unless the consent of any one of them is unnecessary for any of the reasons specified in the preceding proviso.

Capacity of a female Hindu to take in adoption

8. Any female Hindu—

- (a) who is of sound mind,
- (b) who is not a minor, and
- (c) who is not married or if married, whose marriage has been dissolved or whose husband is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind, has the capacity to take a son or daughter in adoption.

Persons capable of giving in adoption

9. (1) No person except the father or mother or the guardian of a child shall have the capacity to give the child in adoption.

(2) Subject to the provisions of sub-section (3) and sub-section (4), the father, if alive, shall alone have the right to give in adoption, but such right shall not be exercised save with the consent of the mother unless the mother has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.

(3) The mother may give the child in adoption if the father is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of a competent jurisdiction to be of unsound mind.

(4) Where both the father and mother are dead or have completely and finally renounced the world or have abandoned the child or have been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind or where the parentage of the child is not known, the guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court to any person including the guardian himself.

(5) Before granting permission to a guardian under sub-section (4), the court shall be satisfied that the adoption will be for the welfare of the child, due consideration being for this purpose given to the wishes of the child having regard to the age and understanding of the child and that the applicant for permission has not received or agreed to receive and that no person had made or given or agreed to make or give to the applicant any payment or reward in consideration of the adoption except such as the court may sanction.

Explanation: For the purposes of this section—

- (i) the expression, "father" and "mother" do not include an adoptive father and an adoptive mother.



shall treat a person living in the family of the person as a child or child-in-law and property and interests

(a) a guardian appointed by the will of the child's father or mother, and

(b) a guardian appointed or declared by a court;

(ii) court means the city civil court or a district court within the local limits of whose jurisdiction the child to be adopted ordinarily resides.

Persons who may be adopted.

10. No person shall be capable of being taken in adoption unless the following conditions are fulfilled, namely:—

- (i) he or she is a Hindu;
- (ii) he or she has not already been adopted;
- (iii) he or she has not been married, unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who are married being taken in adoption;
- (iv) he or she has not completed the age of fifteen years, unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who have completed the age of fifteen years being taken in adoption.

Other complied-Conditions for a valid adoption

11. In every adoption, the following conditions must be complied with:—

- (i) if the adoption is of a son, the adoptive father or mother by whom the adoption

is made must not have a living son or daughter by legitimate blood relationship or by adoption living at the time of adoption;

(ii) if the adoption is of a daughter, the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a living daughter or son's daughter (whether by legitimate blood relationship or by adoption) living at the time of adoption;

(iii) if the adoption is by a male and the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least twenty-one years older than the person to be adopted;

(iv) if the adoption is by a female and the person to be adopted is a male, the adoptive mother is at least twentyone years older than the person to be adopted;

(v) the same child may not be adopted simultaneously by two or more persons;

(vi) the child to be adopted must be actually given and taken in adoption by the parents or guardian concerned or under their authority with intent to transfer the child from the family of its birth or in the case of an abandoned child or a child whose parentage is not known, from the place or family where it has been brought up to the family of its adoption;

Provided that the performance of *datta homam* shall not be essential to the validity of an adoption.

No. BC. 12025|2|76-SCT.I

Government of India|Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs|Grih Mantralaya

To  
The Chief Secretaries to  
All State Governments|Union Territory  
Administrations.

New Delhi-110001, the 22 March, 1977  
Chaitra, 1898

SUBJECT:—Issue of Scheduled Caste and Scheduled  
Tribe certificates—Clarifications re-  
garding.

Sir,

I am directed to say that many instances have come to the notice of this Ministry wherein certificates of belonging to a particular Scheduled Caste|Tribe have not been issued strictly in accordance with the principles governing the issue of such certificates. This is presumably due to inadequate appreciation of the legal position regarding the concept of the term "residence" on the part of the authorities empowered to issue such certificates.

2. As required under Articles 341 and 342 of the Constitution, the President has, with respect to every State and Union Territory and where it is State after consultation with the Governor of the concerned State, issued orders notifying various Castes and Tribes as Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to that State or Union Territory from time to time. The inter-state area restrictions have been ~~deliberately~~ imposed so that the people belonging to the specific community residing in a specific area, which has been assessed to qualify for the Scheduled Caste or Scheduled Tribe status, only benefit from the facilities provided for them. Since the people belonging to the same caste but living in different State|Union Territories may not necessarily suffer from the same disabilities, it is possible that two persons belonging to the same caste but residing in different States|U.Ts may not both be treated to belong to

Scheduled Caste|Tribe or vice-versa. Thus the residence of a particular person in a particular locality assumes a special significance. This residence has not to be understood in the literal or ordinary sense of the word. On the other hand it connotes the permanent residence of a person on the date of the notification of the Presidential Order scheduling his caste|tribe in relation to that locality. Thus a person who is temporarily away from his permanent place of abode at the time of the notification of the Presidential Order applicable in his case, say, for example, to earn a living or seek education, etc., can also be regarded as a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, as the case may be, if his caste|tribe has been specified in that Order in relation to his State|U.T. But he cannot be treated as such in relation to the place of his temporary residence notwithstanding the fact that the name of his caste|tribe has been scheduled in respect of that area in any Presidential Order.

3. It is to ensure the veracity of this permanent residence of a person and that of the caste|tribe to which he claims to belong that the Government of India has made a special provision in the proforma prescribed for the issue of such certificate. In order that the certificates are issued to the deserving persons it is necessary that proper verification based primarily on revenue records and if need be, through reliable enquiries, is made before such certificates are issued. As it is only the Revenue Authorities who, besides having access to the relevant revenue records are in a position to make reliable enquiries, Government of India insists upon the production of certificates from such authorities only. In order to be competent to issue such certificates, therefore, the authority mentioned in the Government of India (Department of Personnel and Administrative Reforms) letter No. 13|2|74-Est (SCT) dated the 5th August, 1975, (copy enclosed) should be the one concerned with the locality in which the person applying for the certificate and his place of permanent abode at the time of the notification of the relevant Presidential Order. Thus the Revenue

8

Authority of one District would not be competent to issue such a certificate in respect of persons belonging to another district. Nor can such an authority of one State|UT issue such certificates in respect of persons whose place of permanent residence at the time of the notification of a particular Presidential Order, has been in a different State|Union Territory. In the case of persons born after the date of notification of the relevant Presidential Order, the place of residence for the purpose of acquiring Scheduled Caste or Scheduled Tribes status, is the place of permanent abode of their parents at the time of the notification of the Presidential Order under which they claim to belong to such a caste|tribe.

4. It is understood that some State Governments|Union Territory Administrations have empowered all their Gazetted Officers to issue such certificates and ever Revenue Authorities issue certificates on the basis of the certificates issued by Gazetted Officers, M.Ps. and M.L.As, etc. If such a practice is followed, there is a clear danger of wrong certificates being issued, because in the absence of proper means of verification such authorities can hardly assure the intrinsic correctness of the facts stated in such certificates. In order to check the issuance of false certificates, the question of verification assumes all the more importance.

5. All the State Governments|Union Territory Administrations are, therefore, requested to streamline their respective procedures for issuing such certificates so as to conform to the above instructions as well as to those issued from time to time. Where Revenue Authorities have been empowered to issue certificates on the basis of a certificate issued by an M.P., M.L.A., Gazetted Officer, etc., they would do so only after having made proper verifications and after having satisfied themselves of the correctness of such certificates.

Yours faithfully,  
(O. R. SRINIVASAN)  
Under Secretary to the Government of India  
Tel. No. 381843

March, 1977  
Phalguna, 1898

No. BC. 12025|2|76-SCT-I

Copy to:—

1. The Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of India, with reference to their U.O. No. D.2014|76-Est. (SCT), dated the 8th July, 1976. They are requested to

make necessary amendments to the Brochure for the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by incorporating, where necessary, the provision stated in the foregoing paragraphs.

2. Director, Institute of Sectt. Training and Management, West Block No. 1, Wing No. 6, Ramakrishnapuram, New Delhi-110022 with reference to his letter No. 12|4|76-ARRNG, dated the 21st February, 1976.

3. Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.

4. All Ministries|Departments of the Govt. of India.

5. All Zonal Directors|Deputy Directors.

6. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Ramakrishnapuram, New Delhi.

(O. R. SRINIVASAN)

Under Secretary to the Govt. of India  
Tel. No. 381843

COPY

Letter No. 13|2|74-Est. (SCT)

Government of India|Bharat Sarkar  
Cabinet Secretariat|Mantrimandal  
Sachivalay

Department of Personnel and Administrative Reforms

(Karmik Aur Prasashanik Sudhar Vibhag)  
New Delhi-110001, the 5th August, 1975

To

The Chief Secretaries of  
All State Governments and Union Territory Administrations.

SUBJECT:—Verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes—Form of caste certificate—Amendments to.

Sir,

I am directed to say that candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes seeking employment to posts|services under the Central Government are required to produce a certificate in the prescribed form from one of the prescribed authorities in support of their claim. A list of the prescribed authorities in this regard is enclosed for information. The form of caste certificate has now been slightly revised. The revised form of caste

is enclosed. I am to request that the form of caste certificate may please be to the notice of the authorities under the government who are empowered to issue such certificates.

Sd/- J. S. AHLUWALIA  
Under Secy. to the Govt. of India

3/2/74-Est.(SCT) New Delhi-110001,  
5th August, 1975

copy forwarded to U.P.S.C. for information with to their letter No. 26/43/74-EI(B) dated 1975.

of authorities empowered to issue certificates of

District Magistrate|Additional District Magis-  
trator|Deputy Commissioner|Additional De-

puty Commissioner|Deputy Collector|1st Class Sti-  
pendary Magistrate|City Magistrate|\*Sub-Divisional  
Magistrate|Taluka Magistrate|Executive Magistrate|  
Extra Assistant Commissioner.

(\*not below the rank of 1st Class stipendary  
Magistrate)

2. Chief Presidency Magistrate|Additional Chief  
Presidency Magistrate|Presidency Magistrate.

3. Revenue Officers not below the rank of Teh-  
sildar.

4. Sub-Divisional Officer of the area where the  
candidate and/or his family normally resides.

5. Administrator|Secretary to Administrators|De-  
velopment Officer (Lakshadweep Islands)

Form of certificate to be produced by a candidate belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe in support of his claim.

Form of caste certificate

This is to certify that Shri/Shrimati\*/Kumari\* .....son/daughter\* of .....  
.....of village/town.....in District/Division\*  
.....of the State/Union Territory\*  
belongs to the.....Caste/Tribe\* which is recognised as Scheduled Caste\*  
Scheduled Tribe\*

under:-

- The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950;
- The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950;
- The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951;  
[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act) 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971]
- The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes \*Order, 1956;
- The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes \*Order, 1959;
- The Constitution, (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes \*Order, 1962,
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Sch. Tribes \*Order, 1962
- The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes \*Order, 1964;
- The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) \*Order, 1967;
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste \*Order, 1968;
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes \*Order, 1968.
- The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes \*Order, 1970.

2. Shri/Shrimati /Kumari\* .....and his/her\* family ordinarily  
reside(s) in village/town.....of.....District/Division\* of the  
State/Union Territory\* of.....

Signature.....  
Designation.....  
(with seal of Office)

Place.....State  
Union Territory\*

Date.....  
\*Please delete the words which are not applicable.

NOTE:—The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

S No 7 (2)

राजस्थान सरकार  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग  
कार्मिक-क(अनुभाग-५)

क्रमांक. सं० ५० १५ (२१) कार्मिकी क-५। ७७ जयपुर, दिनांक ६ मार्च, १९७६।

प्रेषक :- विभिन्न शासन सचिव,  
कार्मिक विभाग।

रेषिती :- समस्त जिला दफ्तराधिकारी।

विषय :- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति को  
प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में स्पष्टीकरण।

सन्दर्भ :- पत्र संख्या ५० १५ (२५) कार्मिकी क-५। ७६  
दिनांक १२-८-१९७६।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में अनेक ऐसे मामले आये हैं जिनमें अनुसूचित जाति।

सुनिश्चित जा-जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र तत्सम्बन्धी उच्चश्रेणी सिद्धान्तों  
के अनुसार जारी नहीं किये गये हैं। इसका मुख्य कारण तत्सम्बन्धी प्राधिकृत अधिकारियों  
का 'निवाह' शब्द के वैधानिक अर्थ के अभाव का अभाव है। अतः भविष्य में रूपरेखा  
संलग्न स्पष्टीकरण (परिशिष्ट 'क') को ध्यान में रख कर ही जाति प्रमाण-पत्र जा-  
कराने का सुचित प्रबन्ध करने का श्रम करें।

इसके अतिरिक्त अन्तर्जातीय विवाहित जोड़ों की सन्तति के मामले भी  
उभने आ सकते हैं। अन्तर्जातीय विवाहित जोड़ों में केवल एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित  
जन जाति का अथवा दोनों अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति परन्तु पिता - पिता  
उपजातियों के अथवा एक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जन जाति का हो सकता  
है। ऐसे जोड़ों की सन्तति जिस जाति। जन जाति का होने का दावा जाती है उस  
जाति जन जाति वालों ने उसे अपनाया है अथवा नहीं, उस तथ्य की जांच करके उसे संलग्न  
में परिशिष्ट 'ख' में 'द' पर उद्धृत कानूनी परामर्श के अनुसार ही जाति प्रमाण-पत्र  
जारी करना आवश्यक है।

३) सन्दर्भ की सुविधा के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक  
२०-७-७७ द्वारा प्रभाव में लाये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश  
(संशोधन) विधेयक, १९७६ द्वारा संशोधित राजस्थाना-तर्गित अनुसूचित जाति जन जाति  
की सूचिक-परिशिष्ट 'क' व 'द' पर दे दी गई है।

४) प्राधिकृत अधिकारियों की सूची व प्रमाण-पत्र के फार्म में भी तदनुसार  
संशोधन की आवश्यकता हो गई है। अतः पूर्ववर्ती आदेशों के अधिसूचना में, भारत

1) ज्ञात हुआ है कि अस्तित्व प्रमाण-पत्र जारी करने में, राजपत्रित अधिकारियों, संसद सदस्यों तथा विधान मण्डल सदस्यों का दिनांक जारी किया गए प्रमाण-पत्रों के जारी पर प्रमाण-पत्र देते हैं। यदि ऐसा प्रयत्न जारी रहा तो गलत प्रमाण-पत्र दिए जाने का स्पष्ट खतरा है क्योंकि जांच के सही तरीकों के अभाव में ऐसे प्राधिकारी जो प्रसार के प्रमाण पत्रों में लिये गये तथ्यों की वास्तविक सत्यता सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, गलत प्रमाण-पत्र जारी करना रोकने की दृष्टि से अत्याप्त करने का प्रयत्न ही गहत्वपूर्ण हो जाता है।

2) अतः अस्तित्व अधिकारियों के अनुसार है कि वे ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व ठीक प्राणीकरण राजस्व रेकार्ड के आधार पर ही तथा आवश्यक हो तो विश्वकर्मा जांच कराई। प्रमाण-पत्रों का अत्याप्त उनकी सत्यता से स्वयम् का प्रयत्न होने से बचाव ही है।

3) कृपया हमें जमीन संपत्त प्राधिकृत अधिकारियों को तदनुसार निर्देश प्रोत्तरित करके जहाँ विभाग को सूचित करने का प्रयत्न करें।

मन्वीय,  
 (केकेके प्रतमगर)  
 विशिष्ट शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यावाही के लिए प्रेषित है -

- 1) सचिव, राज्यपाल। मुख्य मंत्री,
- 2) निजी सचिव, मंत्रालय। राज्य मंत्री मण्डल,
- 3) निजी सचिव, मुख्य सचिव,
- 4) संपत्त शासन सचिव। विशिष्ट शासन सचिव,
- 5) संपत्त विभाग/अधीनस्थ,
- 6) सचिव/अधीनस्थ विभाग। अनुभाग। फोर्सेट,
- 7) अधीनस्थ, राजकीय सहाय्य सदन/मण्डल, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र (आज्ञा प्रमाण) से प्रमाणित,
- 8) सचिव एवं प्रशासनिक सहाय्य विभाग (गुप्त-4) को प्रतिलिखित प्रतियाँ सचिव।
- 9) निर्देशक, राजस्व लेखापरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर, संपत्त निर्देशक को सूचना के लक्षण-रत सत्यापन द्वारा समुचित प्रमाणित आवश्यक कार्यावाही कराई।

(अधीनस्थ अधिकारी - )

प्रतिलिपि सचिव, गृह विभाग, भारत सरकार को उनके पत्र सं. सीडी/ १२०-२५/२७६ सं. ७६/सीडी/१० दिनांक २२-३-७७ और ३६/३७/७३ सं. ७६/सीडी/१० दिनांक २२-५-७७ के तदर्थ प्रेषित।

(अधीनस्थ अधिकारी - )

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचना प्रेषित है -
- 1) सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर,
  - 2) सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर,
  - 3) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।

(अधीनस्थ अधिकारी - )

परिच्छिन्न

अनुचित जाति । जन जाति के निवारण शब्द के लोपनिर्वाह का अर्थ

राष्ट्रपति ने प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के बारे में उक्त राज्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 342 व. 343 के अन्तर्गत तथा उक्त राज्य या संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में विभिन्न जातियाँ और जन जातियाँ को अनुचित जातियाँ तथा अनुचित जन जातियाँ के रूप में दखिना करते हुए समय-समय पर आदेश जारी किये हैं । अन्तर्राज्य । क्षेत्रीय प्रतिबन्ध ज्ञान बुद्धि का लाने गये है ताकि किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विशिष्ट समुदाय के लोग जिनकी अनुचित जातियाँ तथा अनुचित जन जातियाँ की हैसियत का वांछित रूप में उनके लिए निर्धारित की गई सुविधाएँ उन्हें न मिलें । विभिन्न राज्यों । संघ शासित क्षेत्रों में रहने वाले एक ही जाति के लोग अनिवार्य रूप से एक ही जाति के पीछे नहीं हो सकते हैं । यह भी सम्भव है कि एक ही जाति के दो लोग जो भिन्न भिन्न राज्यों । संघ शासित क्षेत्रों में रहते हैं दोनों को अनुचित अनुचित जन जाति अथवा विच्छिन्न (बाल-बस्ता) न समझा जाये । इस प्रकार किसी क्षेत्र स्थान पर रहने वाले हरे व्यक्ति का एक हरे व्यक्ति है । इसके विपरीत इस शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की जाति । जन जाति को अनुचित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की दखिना की तारीख को उस व्यक्ति के स्थान निर्धारित है । इस प्रकार एक व्यक्ति, उस पर लागू होने वाले राष्ट्रपति के आदेश को दखिना करते समय अपने स्थान निर्धारण स्थान में दखिना रूप से नहीं अन्यत्र रहता ही, उदाहरण के लिए नौकरी करता हो या शिक्षा आदि प्राप्त कर रहा हो, अनुचित जाति । अनुचित जन जाति जो भी हो, के सम्बन्धित समझा जायेगा, यदि उक्त राज्य । संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में उक्त जाति । जन जाति उक्त आदेश में निर्दिष्ट की गई हो । परन्तु उसे दखिना निर्धारण के स्थान के सम्बन्ध में इस प्रकार नहीं समझा जायेगा उसे ही दखिना निर्धारण के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा भी आदेश में वास्तव में उक्त जाति । जन जाति को अनुचित किया गया हो ।



पुस्तक संख्या

Legal views on the status of the offsprings of a couple where one of the spouses is a member of a Scheduled Caste.

The general position of law as to the effect of marriage between parties who are Hindus and one of whom belongs to the Scheduled Castes is that under the ancient Hindu law, generally, inter-caste marriage was looked down upon by the propounders and commentators. Some of the authorities, however, reluctantly permitted marriage between a male caste Hindu with a Shudra female and included it in the list of Anuloma marriages although it was stated that in the wedding with a Shudra wife, the ceremony should be performed without mantras. The children born out of a marriage by a caste Hindu with a woman of an inferior caste had neither the caste of the father nor the status of his Savarn varnas-meaning the son born of a caste Hindu wife. They were termed as Anulomaja and belonged to an intermediate caste higher than that of their mother and lower than that of their father. Jajnavalkya calls the son of a Brahmin by a Shudra wife from the list of sons mentioned by Manu. Pratiloma marriages, i.e. marriages between women of a superior caste with a man of an inferior caste, were altogether forbidden and no rites were prescribed for them in Grihya Sutra and persons entering into such marriages were degraded from the caste.

2. After the passing of the various statutory enactments relating to the Hindu law, such as, the Hindu Marriages Act, 1955, the Hindu Succession Act, 1956 and the Hindu Minority & Guardianship Act, 1956, customary ban on inter-caste marriages in either way, has been lifted by the statutory enactment. Under the Hindu Marriage Act, any two Hindus of different sex, irrespective of their caste may enter into a valid marriage unless such marriage is prohibited by the statute itself. According to the above three Statutes, all children either legitimate, or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain or a Sikh by religion and who are brought up as members of the tribe, community, group or family to which their parents belong or belonged, are to be treated as Hindus. In view of the above, the off-springs of marriage between the caste Hindu and a member of the Scheduled Caste community, are Hindu and like the off-springs of marriage in the same caste, are entitled to succeed to the properties of their parents. But the status of his or her parent belonging to the higher caste or so question arises as to whether such a child will acquire the that of the parent belonging to the Scheduled Caste. On this point, we have not come across any direct case law. But we feel that the ratio of the decision in Wilson v. G.S. Booth reported in AIR 1958 Assam, 128 would apply to such cases. It is stated at page 102.

"The test which will determine the membership of the individual will not be the purity of blood, but his own conduct in following the customs and the way of life of the tribe, the way in which he was treated by the community and the practice amongst the tribal people in the matter of dealing with the tribal people in the matter of dealing with persons whose father was a European."

Similarly  
Mudaliar.

(2) In the case of Subhaswari Mudaliar Vs. Asilman reported in ILR 33, Madras, 342, the Court held

"It is not uncommon process for a Class or tribe outside the pale of caste to another pale, and if other communities recognised their claim, they are treated as of that class or caste. The process of adoption into the Hindu hierarchy through caste is common both in the North and in the South India. As we have already pointed out, in the past there have been cases where people who judge from the purity of blood could not be Khasis, were taken into their fold or the orthodoxy did not stand in the way of their assimilation into the Khasi community".

3. The Supreme Court in V.V. Giri Vs. C.S. Dora reported in AIR 1959 S.C.1318 (1327) held,

"... The caste- status of a person in the context would necessarily have to be determined in the light of the recognition received by him from the members of the caste into which he seeks an entry. There is no evidence on this point at all. Besides the evidence produced by the appellant merely shows some acts by respondent 1 which no doubt were intended to assert a higher status, but unilateral acts of this character cannot be edely taken to prove that the claim for the higher status which the said acts purport to make is established. That is the view which the High Court has taken and in our opinion the High Court is absolutely right."

In view of the above observations by superior Courts, it can safely be concluded that the crucial test to determine is whether a child born out of such a wedlock has been accepted by the Scheduled Caste community as a member of their community and has been brought up in that surrounding and in that community or not. The nexus between the child and the community or class or caste is a real test irrespective of the fact whether the accommodating class or caste or community is a Caste Community. Even if the mother of the child is a member of the Scheduled Caste Community, it is possible that the child is accepted by the community of his father and brought up in the surroundings of his father's relations. In that case, such a child cannot be treated as a member of the Scheduled Caste community and cannot get any benefit as such. Similarly, when the mother belongs to a higher caste and the father is a Scheduled Caste, the father may remain away from the Scheduled Caste Community and the child may be brought up in a different surrounding under the influence of his mother's relations and other community members. In such cases also, the child cannot be said to be a member of the Scheduled Caste community. In the alternative, where the child irrespective of the fact whether the father or the mother is a member of Scheduled Caste community, is brought up on the Scheduled Caste community as a member of that such community, then he has to be treated as a member of the Scheduled Caste community and would be entitled to receive benefits as such.

S.C.  
Community.  
or a Caste  
Hindu  
Community.

4. As regards the marriages not registered and marriages not legally valid, it may be pointed out that registration is not mandatory for marriages under the Hindu law. Even under the Hindu Marriage Act, 1955

(3)

if such ceremony includes the Saptapadi, the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken. In view thereof, all those marriages though not registered but which have been solemnized in accordance with the procedure mentioned in this Section, are to be treated as valid marriages and our opinion mentioned in para 3 above will apply to the children born out of such valid but undersigned marriages.

5. As regards marriages which are not legally valid, it is clear that such children are illegitimate unless invalidity of marriage is due to grant of a decree of nullity by a Court in which case, provisions of Section 14 of the Hindu Marriage Act, 1955, will apply. Under Section 6(b) of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, the natural guardian of a Hindu minor has been stated to be

"in case of an illegitimate boy or an illegitimate girl- the mother and after her the father"

6. It can be derived from this that the illegitimate children are generally brought up by the mother and in her own surroundings. Therefore, if the mother belongs to the Scheduled Caste and brings up the child within a Scheduled Caste community, the child can be taken as a member of the Scheduled Caste community. But in this case also the major factor for consideration is whether the child has been accepted by the Scheduled Caste community as a member of their community and he has been brought up as such.

7. The above are the general observations, however, each case has to be examined in the light of the circumstances prevailed in that case and final decision has to be taken thereof.

परिशिष्ट - 7

Legal views on the status of the offsprings of a couple where one of the spouses is a member of a Scheduled Tribe.

The question has arisen whether the off-spring born out of wedlock between a couple one of whom is a member of Scheduled Tribe and other is not should be treated as a Scheduled Tribe or not.

2. It may be stated at the outset that unlike members of Scheduled Castes the members of Scheduled Tribes continues as such even after their conversion to other religion. This is because while Constitution ( Scheduled Castes) Order, 1950 provides in clause 3 that only a member of Hindu or Sikh religion shall be deemed to be a member of Scheduled Caste, the Constitution ( Scheduled Tribes Order, 1950) does not provide any such condition. This view has been upheld by the Supreme Court in the case reported in AIR 1964 S.C. at p.201.

3. It may be stated that unlike Members of Scheduled Castes members of Scheduled Tribes remain in homogenous groups and quite distinct from any other group of Scheduled Tribes. Each Tribe live in a compact group under the care and supervision of the elders of the Society whose words is obeyed in all social matters. A member committing breach of any prescribed conduct is liable to be excommunicated. The social custom has a greater binding force in their day lay life.

In the case of marriage between a tribal with a -tribal the main factor or consideration is whether the

couple were accepted by the tribal society to which the tribal spouse belongs. If he or she, as the case may be, is accepted by the Society then their children shall be deemed to be Scheduled Tribes. But this situation can normally happen when the husband is a member of the Scheduled Tribe. However, a circumstances may be there when a Scheduled Tribe woman may have children from marriage with a non-Scheduled Tribe man. In that event the children may be treated as Scheduled Tribes only if the members of the Scheduled Tribe community accept them and treat them as members of their own community. This view has been held by the Assam High Court in Wilson Road V. C.S. Bugh reported in AIR 1968 Assam at p.128, where it has been held -

" The test which will determine the membership of the individual will not be the purity of blood, but his own conduct in following the customs and the way of life of the tribe; the way in which he has been treated by the Community and the practice amongst the tribal people in the matter of dealing with persons whose mother was a Khasi and father was a European".

Similarly in the case of Mithusamy Mudaliar V. Masilamam Mudaliar, reported in ILR 33, Madras, 342, the court held-

"It is not uncommon process for a class or tribe outside the pale of caste, to another pale and if other communities recognised their claim, they are treated as of that class or caste".

Similarly, in V. V. Giri V. D. S. Dora, reported in AIR 1959 C. 1318 (1327) the Court held-

"The caste-status of a person in the context would necessarily have to be determined in the light of the recognition received by him from the members of the caste into which he seeks an entry".

5. As mentioned above, it is the recognition and acceptance by the society of the children born out of a marriage between a member of Scheduled Tribe with an outsider, which is the main determining factor irrespective of whether the Tribe is matriarchal or patriarchal. The final result will always depend on whether the child was accepted as a member of the Scheduled Tribe or not.

6. The general position of law has been stated above. However, each individual case will have to be examined in the light of existing facts and circumstances in such cases.

6

परिशिष्ट - ५

Legal views on the status of the offsprings  
of a couple where both the spouses are members  
of Scheduled Caste/Scheduled Tribes but each  
belongs to a different sub-caste/sub-tribe.

-.-.-.-

1. Under the Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, what is material is residence of the member of the caste, race or tribe in the localities specified in the respective schedule. In the case of a minor child the question arises whether his residence will go along with that of his father. Under the principles of private International Law, the domicile of a minor child follows that of his father, and in certain cases of his mother and the minor child is incapable of changing his domicile by any voluntary act. This rule by no means is absolute. Suppose, for instance, a father deserts his son or he is divorced and the custody of his son given to his wife, in such a case the court may consider ~~the~~ the minor's domicile will be that of the mother.
2. Under Section 3 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 the natural guardian in the case of a minor boy or an unmarried girl is father and after him his mother in the case of an illegitimate boy or an illegitimate unmarried girl, the natural guardian will be the mother and after her, the father.
3. In the above background it has to be seen as to which sub-caste or sub-tribe the offspring would belong. In case the parents belong to two distinct communities within the same Scheduled Castes or Scheduled Tribes as the case may be. Prima facie it would appear that in such cases the children born of such parents could be treated as members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be. The prima facie presumption is also in favour of the child possessing the sub-caste or sub-tribe of the father in the large majority of cases, having regard to the concept of domicile mentioned above. Apart from this, it has to be seen whether the child has also been accepted and assimilated in the sub-caste or sub-tribe in that community. Each case has to be examined in the light of the circumstances pertaining to it.

.....

परिच्छेद - ६०

Legal views on the status of the offsprings of a couple where one of the spouses is a member of a Scheduled Caste and the other that of a Scheduled Tribe.

.....

As regards the status of the offspring whose father is a member of Scheduled Caste and mother of a Scheduled Tribe, the prima-facie presumption is in favour of the child possessing the caste of the father in the large majority of cases, having regard to the concept of domicile explained in para 1 of परिच्छेद ५८. Apart from this, it may also be a relevant criterion to see whether the child has been accepted and assimilated in Scheduled Caste community to which the father belongs.

The principle mentioned above would also apply the case of an offspring whose mother is a member of Scheduled Caste and father of a Scheduled Tribe.

This is the general position of law. Each case, however, has to be examined in the light of the attendant facts and circumstances.

.....

No. BC. 12025/1/82 SC&BCD IV  
 Government of India/Bharat Sarkar  
 Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya  
 New Delhi, dated 29th June, 1982

The Chief Secretaries of all State Governments/  
 Union Territory Administrations.

**SUBJECT:—Issue of Scheduled Caste/Tribe Certificates—Providing for punishments for officials issuing such certificates without proper verification.**

Sir,

I am directed to say that it was mentioned in the meeting of the Consultative Committee for the Ministry of Home Affairs held in Feb. 1982 that Scheduled Caste/Tribe certificates have been issued to ineligible persons, carelessly or deliberately without proper verification by the officials empowered to issue such certificates. This has resulted in some persons availing of the benefits meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on false pretext. The Consultative Committee has desired that suitable steps should be taken to prevent such wrong issue of certificates.

Attention is invited to this Ministry's letter No. 25/3/78-SCT-I dated 29th March 1976 addressed to the Chief Secretaries of all the State Governments/U.T. Administrations requesting them to take deterrent action against officials who issued certificates carelessly or deliberately without proper verification. The State Governments/U. T. Administrations were requested to issue necessary instructions to all the officials under their control who are empowered to issue certificates to take proper care before issuing them. These officials were also to be informed that action would be taken against them under the relevant provisions of the Indian Penal Code (Section 425 etc.) if any of them is found to have issued certificates carelessly and without proper verification in addition to the action to which they are liable under the appropriate disciplinary rules applicable to them.

3. It is requested that the action taken in the letter by the State Governments/U. T. Administra-

tions may kindly be intimated to this Ministry urgently with regard to the following points:—

- (i) Number of bogus certificates detected during the last 2 years (1980 and 1981).
- (ii) Action taken against the erring officials.
  - (a) Under the relevant provision of the I.P.C.
  - (b) Under the appropriate disciplinary rules applicable to them.
- (iii) Action taken against persons who obtained such bogus certificates under IPC, etc.
- (iv) Details of the steps taken to curb such malpractices in future.

4. The State Governments and U. T. Administrations are also requested to take strict measures to detect such cases of non-Scheduled Caste and non-Scheduled Tribe persons holding false S. C./S. T. Certificates, deprive them of benefits that they are not entitled to, and impose appropriate penalties and take legal action against them and against those who were responsible for the issue of such certificates, strictly and expeditiously. Further, it was suggested in the Consultative Committee meeting that the State Governments/U. T. Administrations may set up special courts for expeditiously trying the cases relating to the issue of bogus certificates with deterrent rapidity and give wide publicity to the names of persons who are convicted of this offence by the courts.

Yours faithfully,  
 (B. N. Srivastava),  
 Director.

Copy forwarded for information:—

1. Department of Personnel & A. R. Establishment (SCT) Section.
2. Secretary, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.



29

3. Commissioner for SC/ST, R. K. Puram, New Delhi.

4. Secretary, U.P.S.C. | Secretary, Staff Selection Commission.

5. All the Ministries/Departments.

6. All the Divisions of the Ministry of Home Affairs.

7. SC&BCD.I|II|III|VI Sections|PCR Cell| Desk|T.D. Division.

Yours faithfully,

(B. N. Srivastava)  
Director.

MOST IMMEDIATE

BC-16014/1/82-SC&BCD-I

Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya  
New Delhi, dated the 18th November, 1982

27th Kartika, 1904.

To  
The Chief Secretaries to all State  
Governments/Union Territory Administrations.

SUBJECT:—Issue of Scheduled Caste/Scheduled  
Tribe Certificate to migrants from other  
States/Union Territories.

Sir,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education, etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided in modification of the instructions issued in letter No. BC-12025/2/76-SCT-I dated 22-1-1977 and letter No. BC-12025/1/79-SC&BCD-I/IV dated 29-3-1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father/mother by the prescribed authority of the State of the father's/mother's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the person in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the Scheduled Caste/Scheduled Tribes status of the person in relation to the one or

the other State. The revised form of the Scheduled Caste/Tribe certificate is enclosed.

Yours faithfully,  
Sd/-

(B. K. Sarkar)

Joint Secretary to the Govt. of India.

No. BC-16014/1/82-SC&BCD-I New Delhi, the  
18th November, 1982.

Copy to—

1. Department of Personnel & A.R. (Est) (SCT Section) with the request that necessary amendment to the Brochure of the reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, by incorporating where necessary, the position stated in the foregoing paragraphs may please be made.
2. Secretary Union Public Service Commission, Dhoolpur House, New Delhi.
3. Secretary, Staff Selection Commission, CGO Complex, Block No. 12, Lodi Road, New Delhi.
4. All the Ministries/Departments Government of India.
5. Secretary, Commission for Scheduled Caste/Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
6. Commissioner for Scheduled Caste & Scheduled Tribe, R. K. Puram, New Delhi.
7. All the Sections in SC&BCD Division/ST Division, Ministry of Home Affairs.

Yours faithfully,

Sd/-

(B. K. Sarkar)

Joint Secretary to the Govt. of India.

नं. बीसी-16014/182-एसी एंड सी सी डी  
भारत सरकार, गृह मंत्रालय

3

नई दिल्ली, दिनांक: 6 अगस्त, 1984

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव ।

विषय- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रवासियों के दावे के सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र के फार्म में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के तारीख 18-11-1982 के समन्वयक पत्र तथा कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 29-10-1977 के पत्र सं. 36032/6/76-एस्टे एमसीटी के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू हो जाने के परिणामस्वरूप तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार, शिक्षा आदि के प्रयोजन के लिए अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चले जाने पर जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहज हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के फार्म में आगे और संशोधन किया गया है। जाति/जनजाति प्रमाण पत्र का संशोधित फार्म पत्र के साथ संलग्न है। अनुरोध है कि इस संशोधित प्रमाण पत्र के फार्म की प्रतियां उन सभी संक्षेप प्राधिकारियों से ध्यान में लाई जाय, जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संलग्न संशोधित फार्म में उन संक्षेप प्राधिकारियों की सूची भी दी गई है, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था। यह सूची कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 8-8-75 के पत्र सं. 132/74-एस्टे एमसीटी के तहत जारी की गई थी।

2. इस मंत्रालय के तारीख 18-11-1982 के समन्वयक पत्र में जारी किये गए अनुदेश लागू रहेंगे। तथापि यह ध्यान स्पष्ट की जाती है कि

2/-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उनका अनु. जाति/अनु. जनजाति का अपना दर्जा बना रहेगा, लेकिन वे अनु. जाति/अनु. जनजाति को देय रियायत/लाभ अपने मूल राज्य से, पाने के हकदार होंगे, न कि उस राज्य से जहां वे आकर रहने लगे हैं। सभी तक्षम अधिकारियों को सलाह दी जाय कि वे सबसे आगे अनु.जाति/अनु.जनजाति प्रमाण पत्र सहायित फार्म में जारी करें और उसके बारे में इस मंत्रालय को भी सूचित करें। साथ ही ये प्रमाण पत्र तब जारी किए जाए जब वे राजस्व रिफांड/किस्कीय पहताछ, जाचपडताल के जरिए उचित सत्यापन कर लेने के बाद इस बात से सन्तुष्ट हो जायें कि प्रमाण पत्र सही है। शक्ति प्राप्त तक्षम प्राधिकारियों की फार्म में दी गई सूची का कडाई से पालन किया जाय। अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्राधिकृत न किया जाय।

भारतीय,  
 संपुक्त सचिव, भारत सरकार

सं. बी सी-16014/1/82-एन सी एंड बी सी डी-1 दिनांक: 6 अगस्त, 1982

प्रतिनिधि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाऊस, नई दिल्ली
2. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, सी जी ओ कमन्स, ब्लॉक नं. 12, लोदी रोड, नई दिल्ली
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. सचिव, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति आयोग, लोक न्याय भवन, नई दिल्ली।
5. अनु. जाति/अनु. जनजाति आयुक्त, रामकृष्ण परम, नई दिल्ली।
6. सभी अनु.जाति/अनु.जनजाति निदेशक/उप-निदेशक।
7. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
8. निर्वाचन आयोग।
9. लोक सेवा आयोग, एम सी टी सी शाखा 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

No. BC.16014/ [REDACTED] CD-I  
 Government of India/Bharat Sarkar  
 Ministry of Home Affairs/Grih Mantralya

New Delhi, dated the 22.2.85

To

The Chief Secretaries to all State/Governments/  
 Union Territory Administrations.

Sub:

Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate  
 to migrants from other States/Union Territories.

Sir,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes, who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided to modify the instructions issued in letter No. BC.12025/2/76-SCT-I dated 22.3.1977 and letter No. BC.12025/11/79-SC&BCD-I/IV dated 29.3.1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Sch. Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father by the prescribed authority of the State of the father's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the caste/tribe in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the sch. caste/tribe status of the persons in relation to the one or the other State. The revised form of the Sch. Caste/Tribe certificate has already been circulated with this Ministry's letter of even number dated 6.8.1984.

2. It is also clarified that a Sch. Caste/Tribe person who has migrated from the State of origin to some other State for the purpose of seeking education, employment etc. will be deemed to be a Sch. Caste/Tribe of the State of his origin and will be entitled to derive benefits from the State of origin and not from the State to which he has migrated.

3. This letter substitutes this Ministry's earlier letter of even number dated 18.11.1982.

Yours faithfully,

Sd/-

( B.K. SARKAR )  
 JOINT SECRETARY

राजस्थान स  
समाज कल्याण

दिनांक: 4.4.90

क्रमांक: प.स. 888 आरएण्डपी/सकवि/ 22422-48

समस्त जिला कलेक्टरस,  
राजस्थान

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण लाये गये है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र तद-संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमों को ध्यान में रख कर जाते है परिणामस्वरूप अनेको वैधानिक जटिलताएं उपलब्ध हो जाती है इसके अतिरिक्त यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी नहीं किये जाते है जिससे प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसे मामले भी सामने आसकते है कि आवेदक राजस्थान का 'जन्मजात' मूल निवासी न होकर वरन् भारत के किसी अन्य प्रांत का निवासी हो और राजस्थान में नौकरी अथवा अध्ययन आदि के लिये आ गया है, को उसके पिता के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है किन्तु और अधिक सन्तुष्टि के लिये ऐसे प्रकरणों में आवेदक के मूल निवास स्थान से विस्तृत जांच करायी जाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के जो व्यक्ति अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में शिक्षा एवं रोजगार आदि के लिये जाते है, उनको अनुसूचित जाति/जनजाति का अपना दर्जा बना रहगा लेकिन वे अनुसूचित जाति/जनजाति को देय रिझर्वत % लाभ अपने मूल राज्य से पाने के हकदार होंगे न कि उस राज्य से जहां वे आकर रहने लगे हैं।

अतः प्राधिकृत अधिकारियों से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड के आधार पर तथा आवश्यक एवं विश्वसनीय जांच कराने के पश्चात् ही अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यह प्रमाण पत्र उती स्थिति में जारी करेंगे जबकि आप स्वयं आवेदक की जाति से पूर्ण आश्वस्त हो चुके हों।

प्राधिकृत अधिकारी प्रायः राज्यपत्रित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि द्वारा किये गये प्रमाणपत्रों के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र जारी कर देते हैं, जो सर्वथा गलत है। यह प्रमाण पत्र प्रायः राजस्व रिकार्ड, नगरपालिका रिकार्ड, हास्पिटल रिकार्ड, जैसे ठोस प्रमाण पत्र के आधार पर ही जारी किया जाना चाहिये। किंचित असावधानी वकबना पर्याप्त प्रत्यापन के गलत प्रमाणपत्र जारी हो जाने पर प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की तदसंबंधी धाराओं

यवाही सम्भव है। अतः समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय पूर्ण सावधानी बरते ताकि गलत प्रमाण पत्र जारी न हों यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो निर्देशालय समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है। जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी तथा सम्बन्धी अनुरोधः

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी क्लेक्टर/प्रथम श्रेणी वृत्तिकाग्राही मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उपमण्डल मजिस्ट्रेट तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक/एकीकृत मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/प्रथम श्रेणी वृत्तिकाग्राही मजिस्ट्रेट से कम पद के नहीं।
2. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम पद का नहीं होता चाहिये।
3. उस क्षेत्र का उपमण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार/अथवा उसका परिवार रहा है।

उक्त अधिकारियों में प्रमाणकारी प्राधिकारी राष्ट्रपति के अनुसूचित जाति/जनजाति सम्बन्धी आदेश की अधिसूचना के समय जाति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्थाई निवास से सम्बन्धित होना चाहिये अर्थात् एक जिले का राजस्व अधिकारी किसी दूसरे जिले में रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम नहीं है। नही किसी राज्य/संघ शासित सेवा का कोई पंजीयकारी सेवा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके स्थाई निवास का स्थान राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश की अधिसूचित करने के समय किसी भिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र में रहा हो।

राष्ट्रपति के तत्सम्बन्धी आदेश की अधिसूचित किये जाने की तारीख के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के मामले में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के माने जाने के प्रयोजन के लिये उनका निवास स्थान राष्ट्रपति के ऐसे आदेश की अधिसूचना की तारीख के समय, उनके माता-पिता के स्थाई निवास स्थान है जिनके अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने का दावा करते हैं।


शासन सचिव  
समाज कल्याण विभाग,  
राज0, जयपुर

क्रमांक-प-11/88/आरएण्डप्री/सकवि/2449-500 दिनांक: 4.4.90

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- समस्त विभागाध्यक्ष,
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- पंजीयक, राजस्थान विश्वविद्यालय, .....
- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- विभिन्न शासन सचिव, को उनके आदेशकीय टीप संख्या प-9/30/क/सक/89

दिनांक 14.12.89 के क्रम में

  
उपनिदेशक,  
समाज कल्याण विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

राजधान सभार  
समाज कल्याण विभाग

जयपुर, दिनांक 8-11-94

कुमांक 4011(125)आएएचपी।सक्रवि।86895-931  
समस्त संभागीय आरुधत  
समस्त जिला कलक्टर

परिपत्र

विषय:- राजस्थान राज्य में अभिसूचित पिछड़े वर्गों में गैर हिन्दू वर्गों के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिव्ये जाने के संबंध में ।

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम प्रतिवेदन, 1994 के आधार पर समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना कुमांक एफ11(125)आएएचपी।सक्रवि।52307 दिनांक 6 अगस्त, 1994, जो राजस्थान राजपत्र के विशेषांक भाग 1(स) दिनांक 8 अगस्त, 1994 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राज्य में सभी प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्गों की सूची जारी की गई है । हिन्दू पिछड़े वर्गों के समान ही पेटुक व्यवसाय वाले गैर हिन्दू वर्गों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण के लिये राज्य सरकार को कई आपन प्राप्त हुए हैं ।

अतः इस बिन्दु का परीक्षण कर निर्देशानुसार स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे गैर हिन्दू व्यवसायिक जातियों को, जो अपने पुरतनी। पेटुक व्यवसाय के नाम से जानी जाती है और जिन्हे हिन्दू प्रतिरूप पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर लिये हैं व जिन्हे हिन्दू और गैर हिन्दू पेटुक व्यवसायिक नाम समान है, को भी पिछड़े वर्गों में ही माना जायेगा ।

किसी भी व्यक्ति को पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र देने से पहले इस बात की जांच की जानी चाहिये कि उसका व्यवसायिक पेटुक नाम रजिस्ट्रिक हिन्दू पिछड़े वर्गों के समान ही है और इसी रूप में सामान्यतया संबोधित किया जाता है ।

(आर0सी0रुंगटा)  
शासन उप सचिव

कुमांक एफ11(125)आएएचपी।सक्रवि।86932-87031 जयपुर, दिनांक 8-11-94


प्रतिनिधि :-

- 1- मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2- समस्त प्रमुख शासन सचिव ।शासन सचिव ।
- 3- सचिव, महापहिन राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4- सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 5- समस्त सचिव, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- 6- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
- 7- पत्रिक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
- 8- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
- 9- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर ।
- 10- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण ।
- 11- अतिरिक्त पत्रिक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर नेंव जयपुर।



(2)

- 12- समस्त विभागाध्यक्षा
- 13- निदेशक, सुभगा एवं जन सम्पर्क, राजधानी, जयपुर ।
- 14- समस्त पुलिस अधीक्षक ।
- 15- समस्त संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग ।
- 16- समस्त सहायक निदेशक । जिला परिषदा एवं समाज कल्याण अधिकारी ।
- 17- गार्ड फाईल ।

  
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक: एफ-111251161आरएण्डपी/सकवि/305

जयपुर दिनांक: 3-1-2000

अधिसूचना

राजस्थान राज्य पिछडा वर्ग आयोग, जयपुर द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत छठे प्रतिवेदन में निम्न तीन जाति/वर्गों के सम्बन्ध में पृथक से नाम जोड़े जाने की सिफारिश न कर, केवल राज्य सरकार द्वारा इनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी करने का निवेदन किया है।

आयोग की छठी प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डल ज्ञापन संख्या एफ 111251161आरएण्डपी/सकवि/106 दिनांक: 31/12/99 पर मंत्रीमण्डल द्वारा विचारविमर्श कर उक्त वर्णित तीन जाति/वर्गों के सम्बन्ध में आयोग के निवेदन को स्वीकार करते हुये, मंत्रीमण्डल आज्ञा संख्या 1/2000 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया है।

तदनुसार निम्नलिखित तीन जाति/वर्गों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार जारी किया जाता है:-

**1: रजपूत। राजपूत नहीं।/ रजोत। राजपूत नहीं।**

रजपूत। राजपूत नहीं। रावणा राजपूत, दारोगा के ही समानार्थी नाम है। जो लोग रजपूत या रजोत लिखते हैं वे भी दारोगा, रावणा राजपूत, हजूर या हजुरी ही हैं मगर रजपूत या रजोत लिखने से अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं मिलने की सम्भावना रहती है जिससे जो लोग दारोगा या रावणा राजपूत हैं तथा रजपूत या रजोत लिखते हैं, उन्हें सम्बंधित प्रमाण पत्र से वंचित रहना पड़ता है। अतः जो व्यक्ति दारोगा, रावणा, राजपूत, हजूर, हजुरी हैं व अपने नाम के आगे रजपूत। राजपूत नहीं। या रजोत। राजपूत नहीं। लिखते हैं, उन्हें भी प्रमाण पत्र मिलना चाहिये। जो रावणा राजपूत या दारोगा समुदाय के व्यक्ति अपने नाम के आगे रजपूत। राजपूत नहीं। या रजोत। राजपूत नहीं। लिखते हैं, उन्हें भी पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

**2: पायक:-**

जो वेदनाई पायक लिखते हैं मूल रूप से वेदनाई है तथा वे वेदनाई का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पायक नाम से जाति की व्यवसायिक पहचान नहीं है, वेदनाई व्यवसायिक जाति नाम है। जो वेदनाई पायक लिखते हैं उन्हें भी वेदनाई का जाति प्रमाण पत्र दिया जावे। पायक, वेदनाई समुदाय एक ही है। किन्तु वेदनाई न


लिखकर कुछ पायक लिखते हैं। और वह अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। जब एक जाति अथवा समुदाय पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है तो इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उस समाज के विभिन्न व्यक्ति अपने नाम के आगे क्या उपनाम लिखते हैं। प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वह पिछड़ी जाति के सदस्य होने का ही जारी किया जाता है। एक ही समुदाय के पचासों लोग उपनाम लिखते हैं और इसी कारण से उनकी जाति एवं समुदाय बदल नहीं जाती। अगर इस प्रकार विभिन्न उपनामों को जातियों की सूची में जोड़ा गया तो इससे भ्रान्तियाँ बढ़ेंगी। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे उपनाम पायक लिखते हैं किन्तु अपनी जाति वेदनाई कहते हैं, केवल पायक उपनाम लिखने से उसे प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जायेगा।

### 3: रामगढ़िया:-

रामगढ़िया शब्द से इन लोगों का परिचय लिखा है जो रामगढ़ से निकले हैं। रामगढ़ से निकलने वाले अन्य सिखों का रामगढ़िया लिखने से रोका नहीं जा सकता, इस कारण, यदि रामगढ़िया शब्द पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया तो सम्बंधित अन्य पिछड़ी जातियों को नुकसान होने की सम्भावना है। अन्य पिछड़ी जातियों में खाती, बढई, सुथार, तरखान जोड़ी जा चुकी है। आयोग की राय में यदि कोई व्यक्ति जाति से तरखान है, किन्तु अपने नाम के आगे रामगढ़िया लिखता है तो फिर उसे तरखान होने के प्रमाणपत्र से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति, जो जाति से तरखान है, किन्तु नाम के आगे रामगढ़िया लिखता है, तो उसे तरखान होने के प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

विशिष्ट शासन सचिव

148 भाग 1 अक्षांश  
समाज कल्याण विभाग



2 (4)

संक्रि: एका 11141 आचार्य डॉ. श्री. वि/43566-635

जयपुर, दिनांक: 13.11.2010

भारत रिजिस्ट्रार,  
.....

समाप्त पिला कलेक्टर,  
.....

विषय:- उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-  
पत्रों का सत्यापन/स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के तंत्र में निहित निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विवेचन है कि जाति/संगुटाय संबंधी प्रमाणपत्रों के उचित सत्यापन हेतु आवश्यक ठहर उठाने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए में वैधानिक संस्थानों में प्रवेश के समय प्रमाण पत्रों की जांच करना और भी आवश्यक है जहां जाति के बृद्ध प्रमाण पत्रों वाले उम्मीदवार वस्तुतः गुणांक उम्मीदवारों को श्रेय और कोशल प्राप्त करने तथा बाद में योग्यता प्राप्त करने के अर्थ में ध्यान कर सकते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के होने के संदर्भ में प्रस्तुत जो भी प्रयत्नपूर्वक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकें, के आधार पर अस्थायी रूप से निगूक किया जाना चाहिए तथा इस तरह के दावों को स्वीकृत होने से उन स्थानों के लिए, अधिकारियों के मध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए जो के वे तथा उनके परिवार के सम्बन्ध में निवासों हैं, यदि किसी मामले में सत्यापन करने से यह पता चलता है कि उम्मीदवार का दावा झूठा है तो उसी के बाद समाप्त कर दी जानी चाहिए।

... 2 : -  
 ... द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्नांकित एक संक्षेप  
 ... प्रस्तावित है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पर उचित मापदण्डों  
 ... के अभाव में जाति के अभाव में और उत्थापन करने पर यदि यह पता  
 ... है कि प्रस्तुत जाति तथा प्रकृतिक जनजाति के भी मामला है, तो  
 ... होने का दावा ठीक है तो बिना किसी कारण बताए ठीक प्रमाण  
 ... करने के लिए भारतीय संसदीय प्रणालियों के अंतर्गत जाति का  
 ... है, के बारे में सुविधा के बिना तैयार न माफ़ कर दो  
 ...

... जाति प्रमाणों के उत्थापन के संदर्भ में उल्लिखित अनुदेशों का  
 ... को ध्यान रखने का कष्ट करें।

शुद्धी  
 ...  
 निम्नलिखित जाति सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
Department of Personnel (A-V)

No.F.9(8)/DOP/A-V/2000

Dated: March 05, 2001

CIRCULAR

**SUBJECT:** Reservation for Other Backward Classes in posts and services under the State Government - clarification regarding application of Rule of Exclusion in certain situations.

Vide Department of Personnel (A-V) Notification No. F.9(8)/DOP/A-V/90 dated September 28, 1993 21% of the vacancies in posts and services under the State Government have been reserved for Other Backward Classes. The Schedule annexed with this Notification specifies the various categories of persons who shall be excluded for the purposes of providing the benefit of reservation to the Other Backward Classes. Clarification have been sought by various officers regarding applicability of the Rule of Exclusion in certain specific circumstances / situations. The matter has been examined in consultation with the Law Department and the following clarifications are hereby issued for the guidance of all concerned :-

**ISSUE:** Whether the benefit of reservation for Other Backward Classes would be admissible to a woman who herself does not belong to one of the castes which have been recognised as Other Backward Classes in the State but marries a person who belongs to one of the castes which has been recognised as Other Backward Classes /

**CLARIFICATION:** In the case of a married woman, her pre-marital status is relevant for determining whether she belongs to Other Backward Classes; marriage has no impact on her status in this regard. Therefore, the benefit of reservation for Other Backward Classes will not be admissible to a woman who was born in any of the castes which is not notified as one of the Other Backward Classes.

**ISSUE:** Whether in the case of a married woman the income of the parents should be taken into account or the income of the husband should be taken into account.

**CLARIFICATION:** Category VI of the Scheduled to Notification No. F.9(8)/DOP/A-V/90 dated September 28, 1993 refers to the "INCOME / WEALTH TEST". Under this category, Son(s) and Daughter(s) of persons having annual income of Rs 1 lakh or above (now revised to Rs 2.5 lakhs or above) or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years are excluded for the purposes of availing the benefit of reservation in the matter of appointments under the State Government. This provision is quite clear and only the income / wealth of the parents (both Father and Mother) is to be taken into account for this purpose. The income / wealth of the husband of the woman has no relevance whatsoever in so far as this provision (Category VI - INCOME / WEALTH TEST) is concerned.

OBC Certificate - Clarifications

38

**ISSUE:** Whether in the case of a person who is an adult, has his own independent source of income, and is living separately from his parents the income of the parents has to be taken into consideration or the income of the individual has to be taken into consideration.

**CLARIFICATION:** As stated above, Category VI of the Scheduled to Notification No. F.9(8)/DOP/A-V/90 dated September 28, 1993 refers to the "INCOME / WEALTH TEST". Under this category, Son(s) and Daughter(s) of persons having annual income of Rs 1 lakh or above (now revised to Rs 2.5 lakhs or above) or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years are excluded for the purposes of availing the benefit of reservation in the matter of appointments under the State Government. This provision is quite clear and only the income / wealth of the parents (**both Father and Mother**) is to be taken into account for this purpose. The income / wealth of the individual has no relevance whatsoever in so far as this provision (Category VI - INCOME / WEALTH TEST) is concerned.

Certain other clarifications on the subject had been issued vide this Department's Circular of even No. dated February 02, 2001. All District Collectors are requested to discuss these clarifications in the monthly meeting of Revenue Officers so as to bring these clarifications to the notice of all Revenue Officers. All Sub-Divisional Officer may be directed to bring these clarifications to the notice of their subordinate Revenue Officers i.e. Tehsildars / Naib-Tehsildars / Inspectors of Land Revenue / Patwaries for ensuring strict compliance.

*Ashok Sampatram*  
05/3/2001  
(Ashok Sampatram)  
Secretary to Government

Copy forwarded to the following information and further necessary action :-

1. Secretary to H.E. the Governor / Chief Minister.
2. All Principal Secretaries / Secretaries / Special Secretaries to the Government.
3. All Heads of Departments (including Divisional Commissioners and District Collectors).
4. All Departments / Sections of Rajasthan Secretariat

Deputy Secretary to the Government

1. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
2. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
3. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Jaipur.
4. Registrar, Rajasthan High Court, Jaipur / Jodhpur.
5. Registrar, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal, Jaipur

Deputy Secretary to the Government

राजस्थान सरकार  
कार्मिक क-5 विभाग



सं० प० ११७१ कार्मिक/क-५/१५

जयपुर, दिनांक 21-10-2002

समस्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट।

परिपत्र

विषय:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्पष्टीकरण चाहे जाते रहे हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्य से माईग्रेट होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहे हैं, को उनके स्वयं अथवा उनकी रक्षणों के उपयोगार्थ उक्त वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र देय है अथवा नहीं।

प्रश्न पर परीक्षणोपरान्त इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वर्ग के अन्य राज्य से माईग्रेट होकर राजस्थान राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों को स्वयं के उपयोगार्थ जो जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसे माईग्रेट हुए व्यक्तियों की संतानों को जिनका जन्म राजस्थान राज्य में ही हुआ है, यहाँ शिवाग्रहण की है, यहाँ से मूल निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी इन वर्गों की सूची (जिसे अनुसूचित किया गया है) में शामिल है तो उन्हें नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।

अतः आपके निवेदन है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु आपके अधीनस्थ जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों को भी निर्दिष्ट करने का कष्ट करें।

सचिव विभाग

*(Signature)*  
जयपुर



(112)   
 No.36022/1/2007-Estt.(Res)   
 Government of India   
 Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions   
 Department of Personnel & Training

20.3.2007.

New Delhi, dated: the 20<sup>th</sup> March, 2007.

To

The Chief Secretaries of all   
 States/Union Territories

Subject: Verification of claims of candidates to belong to   
 Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other   
 Backward Classes:

\*\*\*


Sir,

It has been brought to the notice of this Department that some candidates manage to secure employment under the Government against the vacancies reserved for SCs/STs/OBCs on the basis of false/forged caste/ community certificates. It is a serious matter which can only be tackled with the cooperation of the State Governments.

2. Instructions issued by this Department require the appointing authorities to verify the caste status of SC/ST/OBC candidates at the time of initial appointment. Accordingly, the concerned appointing authorities, at the time of initial appointment of SC/ST/OBC candidates against vacancies reserved for them, make a request to the concerned district authorities to certify the veracity of caste/community certificate produced by the candidate. Many a time, the district authorities take unduly long time to respond. Where verification is not completed in time, the candidates are given appointment on provisional basis pending verification of their caste status. Some candidates continue to hold the post on the basis of false/forged certificates in the absence of proper response from district authorities. Chances of collusion of the candidate with some unscrupulous employee(s) at the district level cannot also be ruled out.

3. I am directed to request you to streamline the system so that the unscrupulous non-SC/ST/OBC persons are prevented from securing jobs meant for SCs/STs/OBCs by producing false certificates. It would be appreciated if you could issue instructions to the District Magistrates/District Collectors/Deputy Commissioners of the districts to the effect that they should ensure at their own level that veracity of the caste/community certificate referred to the district authorities, as stated above, is verified and reported to the appointing authority within one month of receipt of request from such authority. In order to rule out collusion between candidates holding false/forged certificate and employees at the district level or sub-district level, disciplinary proceedings may be initiated against officers who default in timely verification of caste status in such cases or issue false certificates.

Yours faithfully

  
(R. Pamanujam)  
District Secretary

(48)

(21)

राजस्थान सरकार  
सांख्यिकीय न्याय एवं अधिकारिता विभाग

58

सं. 11(1) आदेश/सा.सा.वि./08/5724-68 जयपुर, दि. 11/2/49  
सांख्यिकीय विभाग, जयपुर

विषय- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण आये गये हैं, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र संबंधित प्राविकृत अधिनियमों द्वारा विधियों को ध्यान में रखकर जारी नहीं किये जाते हैं। परिणामस्वरूप अनेक वैधानिक जटिलताएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

विभाग के संपर्कगत सं. 22472-48 दि. 4.4.90, 43568-638 दि. 13.11.2000 एवं 0454-83 दि. 21.2.04 आदि आदेशों को ध्यान में रखते हुए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने एवं जाति प्रमाण-पत्रों का भ्रष्टाचार संबंधी अनुसंधान विचारते गये थे। तत्परिणाम स्वरूप जाति प्रमाण-पत्रों में अन्यायपूर्ण प्रमाण नहीं दिया जा रहा है। अतः आपको कुछ उच्च पदों की प्रतियाँ भेजकर अनुसंधान किया जाता है कि आप प्राविकृत अधिकारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व सख्त रिपोर्ट, अन्य प्रतिलेख एवं जाति की जांच रिपोर्ट एवं निष्कर्षपूर्ण जांच करणों को प्राप्त की अनुसूचित जाति/जनजाति से जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के विषय में प्रमाण पत्रों प्राविकृत अधिकारी भावेदक की जाति से पूर्व रूप से सिद्ध होने पर ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करें।

सुखन संदर्भ में अनुसूचित जाति व जनजाति की वर्गीकरण प्रणाली सूची संतान कर प्रेषित की जा रही है। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व जाति कार्य प्राविकृत से प्राविकृत अधिकारी की रिपोर्ट एवं उच्च सूची का भी समुचित अध्ययन कर स्वयं के रूप में संतुष्ट हो लें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 1978 के बाद राज्य में जातियों की सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन (change) नहीं हुआ है।

आपका आभारपूर्वक धन्यवाद

भवदीय  
शासन उप सचिव



35

26

53

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार विभाग

संख्या: प्रशा.सु.वि.सं. 100/2011

आदेश

जारी 18.3.2011

18.3.2011

प्रशिक्षण जाति/अनुरक्षित जनजाति/पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शकामपत्र/पत्रों एवं अनधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक मुक्तिओं का साम ले रहे हैं, जिससे वास्तविक अनुरक्षित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के व्यक्ति धिक्कित रह जाते हैं। इस संबंध में गान्धीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने के निर्णय दिये हैं। अतः ऐसे शकामपत्र/पत्रों प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिए निम्नानुसार राज्य स्तरीय छानबीन समिति (State Level Scrutiny Committee) का गठन किया जाता है:-

- 1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अध्यक्ष
- 2. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सदस्य
- 3. शासन सचिव, जनजातीय विकास विभाग, सदस्य

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के कार्य (Functions/Duties of the State Level Scrutiny Committee):-

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- 1. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में समय समय पर नीति निर्धारित करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
- 2. शकामपत्र प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
- 3. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना।
- 4. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
- 5. गलत प्रमाणपत्र के मामलों में नियोजन/शैक्षणिक संस्थानों के संस्था प्रबंधन को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।
- 6. विचलेशन समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाली अन्य प्रवृत्तियां।
- 7. शकामपत्र जाति प्रमाणपत्र के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करके अन्तिम निर्णय करना।
- 8. विजिलेन्स सैल के सतर्कता अधिकारी को संबंधित जगह पर जांच करने की सूचना देना और उसका ब्यौरा प्राप्त करना।
- 9. विजिलेन्स सैल के कामकाज/कर्मचारियों की नियुक्ति आदि करना।

2102

संस्था स्तरीय छानबीन समिति की कार्यवाही (In-house Staff Level Scrutiny Committee)

1. प्राथमिक अतिरिक्त दाख अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विधवा वर्ग एवं विशेष विधवा वर्ग के व्यक्तियों के लिए सम्बन्धित/काली पत्र अनुसूचित वर्ग से जारी जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन करके उसे पश्चात् रखने या रद्द करने की तत्पूण प्रविष्टि समिति को होगी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विधवा वर्ग एवं विशेष विधवा वर्ग के व्यक्तियों के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी रहेगा। यह निर्णय भारत के तत्विधान के अनुच्छेद-226 के प्राधान्य के तहत की गई कार्यवाही के अन्तर्गत होगा। माननीय उच्च न्यायालय ऐसी प्रकरणों का निरन्तरण जहां तक सम्भव हो यथाशीघ्र करेगा जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील नहीं की जा सकती। परन्तु तत्विधान के अनुच्छेद-136 के अन्तर्गत प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुसूचित अधिकार दायर की जा सकती।
3. शकाम्पद प्रमाणपत्रों के मामले में बन्धन का उचित मूला देना होगा।
4. बंधन की समय-मर्यादा में बढोत्तरी की जा सकती है।
5. पैसा किये गये आधार/प्रमाण अमान्य करना।
6. मूलतः प्रमाणपत्र धारण करने के मामले को नैतिक अप्रवृत्त मानकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को पुनः उम्मीदवारी दर्ज करने से वरन्सायक (Unfit) घोषित करना।
7. सजा के लिये कानूनी सिकायत दर्ज करवाना।

जो प्रमाण पत्र छानबीन समिति के सम्मल छानबीन हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनका निरन्तरण छानबीन समिति सहासम्पद सीधे किन्तु अधिकतम दो माह की अवधि में करेगी। यदि किसी मामले का निपटारा दो माह की अवधि में नहीं हो सकता हो तो छानबीन समिति उक्त अवधि को कारण अभिलेखित करते हुए अधिकतम छः माह तक और बढ़ा सकती।

जाति प्रमाण पत्रों के अभिलेखों का संरक्षण- जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जिनका संरक्षण जिसे प्रकार से सजस्य प्रकरणों में दर्ज किया जाता है, उसी तरह से जाति प्रमाण पत्रों को भी दर्ज किया जाना चाहिये, जिस कारण से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये, वह अच्छी किरण ब्रू लेभिन्टेड हो। जाति प्रमाण पत्र की कम्प्यूटर फाइल, अनुक्रमिक, वर्णन, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, मुद्रा, तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग सहायक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से,

*[Signature]*  
सहायक उप सचिव



राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1, अगवेंडकर भवन राजमहल गैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांक एफ.ओ. (X) आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./12/7376-409

जयपुर, दिनांक: 24-1-2013

समस्त जिला कलक्टर,  
.....  
.....

विषय:- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों के सरलीकरण, नवीन प्रारूप एवं समस्त राज्य में एकरूपता के संबंध में नवीन संशोधन।

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाए गये कि अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में सम्पूर्ण राज्य में एकरूपता नहीं है। इन प्रमाण पत्रों को जारी करने वाले अधिकारी भिन्न प्रारूप में उक्त प्रमाण पत्र जारी करते हैं तथा इनके साथ ही प्रमाण पत्र चाहने वाले आवेदकों द्वारा भिन्न रूप से आवेदन पत्र का प्रारूप भरकर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जिससे सम्पूर्ण राज्य में आवेदन पत्रों के प्रारूप एवं जारी होने वाले प्रमाण पत्रों में एकरूपता नहीं है, इससे आवेदकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

राज्य सरकार ने गहन विचार विमर्श उपरान्त राज्य में तहसील एवं अन्य स्तरों पर जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्रों की एकरूपता एवं इनके साथ संलग्न दस्तावेजों आदि में प्रस्तावित संशोधन एवं सरलीकरण के बारे में निर्णय लिया है। निर्णयानुसार अब भविष्य में संलग्न प्रारूपों के अलावा अलग से कोई प्रारूप अपने स्तर पर नहीं बनाये जावे।

राज्य सरकार के उक्त निर्णय की पालनार्थ आपको अनु.जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जारी होने वाले प्रमाण पत्रों, आवेदन पत्रों स्वयं संलग्न दस्तावेज आदि के प्रारूप की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है एवं निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में संलग्न प्रारूप अनुसार ही आवेदन पत्र, दस्तावेज, स्वयं जारी होने वाले

प्रमाण पत्र प्रारूप में ही समस्त कार्यवाही संपादित करावें। संलग्न प्रारूप से भिन्न किसी प्रारूप में नहीं।

इसके अलावा यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त नवीन प्रारूप के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी करावें ताकि आवेदकों एवं इन्हें जारी करने वाले अधिकृतियों (Authorities) को कठिनाई ना हो। राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्रों के संबंध में लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं-

**अगुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र:-**

1. अधिकृत अधिकारी:-जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम पद का नहीं हो।

2. पूरे राज्य में आवेदन पत्र संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज तथा जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र का एक समान प्रारूप निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। आवेदन पत्र प्रारूप की प्रति परिशिष्ठ-ए तथा प्रमाण पत्र प्रारूप परिशिष्ठ-बी पर संलग्न है।

3. प्रमाण पत्र हिन्दी में जारी किया जावेगा। आवश्यकता होने एवं मांग करने पर अंग्रेजी में भी जारी किया जावेगा।

4. प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा। निम्न परिस्थितियों में दुबारा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा-

- (अ) प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate copy) जारी की जावे।
- (ब) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावे।
- (क) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए मांग पर नये फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (Renewed Certificate) जारी किया जावेगा।

5. सभी विभाग मूल प्रमाण पत्र की सत्यप्रति को आवेदन पत्र के साथ ग्रहण योग्य मानेंगे।

6. इस हेतु मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करवाया जावेगा।

ST



5. अभ्यर्थी के चयन/भर्ती के अन्तिम स्तर पर ही सत्यप्रति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे तथा इसका सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से भी किया जा सकता है। इससे पूर्व अभ्यर्थी की स्व घोषणा एवं नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रारम्भिक चयन कार्यवाही के लिए स्वीकार किये जावे।
6. आवेदन के साथ दो राजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक या प्रमाण पत्र नहीं मांगे जावेंगे। दो राजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक अथवा प्रमाण पत्र की बजाय किन्ही दो उत्तरदायी व्यक्तियों (संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी) की तस्दीक साक्ष्य हेतु ग्राह्य मानी जायेगी।
7. एक व्यक्ति के सभी पुत्र पुत्रियों के प्रमाण पत्र एक ही आवेदन पत्र पर जारी किये जा सकेंगे यद्यपि प्रमाण पत्र सभी के पृथक पृथक जारी किये जायेंगे।
8. किसी भी विभाग द्वारा स्वयं के द्वारा अलग से तैयार किये गये प्रारूप /बुकलेट आदि में प्रमाण पत्र नहीं मांगा जावेगा।

**अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र**

1. अधिकृत अधिकारी - संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ग्रामीण/शहर)/उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट/सहायक कलक्टर एवं कायपालक मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार/नायब तहसीलदार से कम पद का नहीं हो जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार रहता है।
2. क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर् प्राथी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर (परिशिष्ट-जी) पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

11


3. ओबीसी संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा। परन्तु क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के लिए प्रार्थी के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। निम्न परिस्थितियों में दुबारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा-
- (अ) प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate copy) जारी की जावे।
- (ब) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावे।
- (स) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए मांग पर नये फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (Renewed Certificate) जारी किया जावेगा।
4. कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों के लिए पृथक पृथक आवेदन करने के बजाय एक ही आवेदन पत्र से सभी का प्रमाण पत्र बनवा सकेगा परन्तु सभी के लिए प्रमाण पत्र अलग-अलग जारी किये जायेंगे।
5. दो राजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक अथवा प्रमाण पत्र की बजाय किन्ही दो उत्तरदायी व्यक्तियों (संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापोर/नगर निगम सदस्य/ नगरपालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी) की तस्दीक साक्ष्य हेतु ग्राह्य मानी जायगी तथा उनके द्वारा देय साक्ष्य परिशिष्ट-सी अनुसार होगा।
6. सभी विभाग मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति को आवेदन पत्र के साथ ग्रहण योग्य मानेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करवाया जायेगा। अन्तिम सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से किया जा सकता है।
7. पूरे राज्य में आवेदन पत्र संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज तथा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र का एक समान प्रारूप निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया
- (अ) पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र (Non Creamy layer) कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.9.2009 में निर्दिष्ट प्रारूप परिशिष्ट-डी के अनुसार जारी किया जायेगा।

- (ब) विशेष पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र (Non Creamy layer) कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.9.2009 में निर्दिष्ट प्रारूप परिशिष्ट-ई के अनुसार जारी किया जायेगा।
- (स) केवल अन्य पिछड़ा वर्ग व केवल विशेष अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप उपरोक्त परिशिष्ट-डी व ई के अनुसार क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी पैरा 3 को काटकर (Delete) कर जारी किया जावेगा।

8 आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य सरकार (कार्मिक (क-5) 90 दिनांक 21.3.1994 द्वारा निर्धारित है) जो परिशिष्ट-एफ अनुसार है।

उपरोक्त नवीन संशोधित प्रारूपों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व भली भांति नियमों का अध्ययन कर लेवे तथा नियमों की परिधि में ही राजस्व रिकार्ड अन्य अभिलेख एवं आवश्यक विश्वसनीय जांच करने के पश्चात् ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान करें। प्राधिकृत अधिकारी आवेदक की जाति से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी करें।

संलग्न-संशोधित नवीन प्रारूप  
[परिशिष्ट ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी]

  
 आयुक्त एवं शासन सचिव

(9)

क्रमांक एफ.11(X) आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./12/7410-7710

जयपुर, दिनांक: 24-1-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सचिव/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण राजऽ जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिव, राजस्थान सरकार.....
6. समस्त विभागाध्यक्ष.....
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. आयुक्त, जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग, जयपुर।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिषदा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग.....
10. गार्ड फाईल।

आयुक्त एवं शासन सचिव

(46)

परिशिष्ट - ए

जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र  
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति)

कोट फीस स्टाम्प

२/- रुपया

1. आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को ✓ से चयन करें)

1. प्रार्थी का नाम\*

2. पिता का नाम\*

3. निवासी स्थान का पूर्ण पता\*

(क) वर्तमान पता :-

(ख) स्थाई पता :-

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साइज)

(अभिप्रेक्षा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावे)

4. गाँव/शहर\*

तहसील\*

जिला\*

5. जन्म दिनांक:

जन्म स्थान

उम्र

6. लिंग\*

पुरुष

महिला

वैवाहिक स्थिति :

विवाहित

अविवाहित

7. धर्म (आवेदक)\*:

जाति\* :

अनुसूचित जाति/ जनजाति

उप जाति\*

8. धर्म (पिता का)\*

जाति\* :

अनुसूचित जाति/ जनजाति

उप जाति\*

9. प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है\*

10. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है\*

हाँ

नहीं

11. मोबाईल नम्बर

(सूचना चाहता है)

(जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित एस.एम.एस. द्वारा

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं।

जन्म दिनांक:

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

## हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

प्रस्ताविक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्री श्री  निवासी

का/की है। यह अनुसूचित जाति/जन्मजाति की उपजाति  का/की है।

गवाहों का राशन कार्ड नम्बर  दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी  
हलका नं .....

## प्रमाण-पत्र

(i) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  पद  पर

कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति

का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  पद  पर

पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति

का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें :-

एक नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाए (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे

करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

प्रमाण पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशांषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक संबंधी/किसायानामा/गैस कनेक्शन/विजली, पानी,

सोपान बिल की प्रमाणित प्रति।

जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमावदी, मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण

शिक्षा प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा- संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी-कर्मचारी/जिला

प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर

पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता

### शपथ-पत्र

नाम: [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
 निवासी [ ]  
 गाँव/शहर [ ] तहसील [ ] जिला [ ]

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :

- (1) मैं राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति [ ] का/की सदस्य हूँ।
- (2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
- (3) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
- (4) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि सूचना सं. 1 से 4 की उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं, ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशांषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

### जाति का प्रमाण पत्र फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_

सुपुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_

गांव/नगर \_\_\_\_\_

जिला/डिवीजन \_\_\_\_\_

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_

जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार जाति/अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है :-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियाँ (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ) संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति, आदेश 1962, संविधान (पांडचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ और अथवा उसी परिवार \_\_\_\_\_

गांव/नगर \_\_\_\_\_ जिला/डिवीजन \_\_\_\_\_

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_ में

सामान्यतया रहता है।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पद नाम \_\_\_\_\_

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

कृपया उन शब्दों को हटा दीजिये जो लागू नहीं है।

विशेष ध्यान दें।

यहां प्रयुक्त हुए सामान्यतया रहता है। शब्दों का अर्थ वहीं होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।



परिशिष्ट- सी

पिछड़ा वर्ग साक्ष्य द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति

(i) गवाह\* :

निवासी [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

[ ]

विभाग का नाम [ ] कार्यालय का नाम [ ]

[ ] पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्राथी/प्राथीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति [ ]

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह\* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

विभाग का नाम [ ] कार्यालय का नाम [ ]

पद [ ] पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्राथी/प्राथीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]

निवासी [ ]

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति [ ]

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

11  
(5)

57

## हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आँधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री श्री

जाति

अन्व/विशेष पिछड़े वर्ग

उपजाति

का/की है। प्रार्थी क्रिमीलियर की श्रेणी में आता है/नहीं आता है।

हस्ताक्षर पटवारी

हलका नं .....

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें :-

आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएँ (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

राशन कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक सम्बन्धी/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी, टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।

पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, आय प्रमाण पत्र/आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा- संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता/

11

52

शपथ-पत्र/बयान

पुत्र/पुत्री श्री

पिता/माता का नाम

गाँव/शहर  तहसील  जिला

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि

मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति  का/की सदस्य हूँ।

मेरे माता/पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सरकार के समूह 'क' वर्ग-1, समूह 'ख' वर्ग-2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल/जल/वायु सेवा के कर्मियों के समान पदों पर नहीं हैं/नहीं थे।

मेरे माता/पिता  पद पर कार्यरत है/थे।

मेरे माता/पिता की समझत स्रोतों से मासिक आय  रुपये हैं।

- (1) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
- (2) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
- (3) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन


मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रिमीलेयर का हूँ/नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ, चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थता/नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होंस जो विधि और नियमों के उपलक्षित की जावें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशांषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

57

परिशिष्ट - डी



रजिस्ट्रेशन .....

दिनांक :

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा  
क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने  
के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_  
राजस्थान राज्य के जिला \_\_\_\_\_ में ग्राम/नगर  
\_\_\_\_\_ की निवासी हैं तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहां  
स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते हैं।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ राज्य सरकार के सामाजिक  
न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी/एसजेईडी/  
09/47032 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की  
अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से \_\_\_\_\_  
वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के  
क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या  
प/7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के  
अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर  
कार्यालय की मोहर/सील सहित

\*(राज्य के पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों  
तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

57

परिशिष्ट- ४५

फोटो

राजस्थान

दिनांक

राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का होने तथा  
क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के  
प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_  
राजस्थान राज्य के जिला \_\_\_\_\_ में ग्राम/नगर  
\_\_\_\_\_ की निवासी हैं तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहां  
स्थायी रूप से निवास करता/करती/करते हैं।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ राज्य सरकार के सामाजिक  
न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड  
पी/एसजेईडी/09/46855 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के विशेष  
पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से  
\_\_\_\_\_ वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के  
क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (फ-2) विभाग की अधिसूचना संख्या  
प/7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के  
अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर  
कार्यालय की मोहर/सील सहित

\*(राज्य के विशेष पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों  
और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

11

55

## परिशिष्ट - एफ

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नौकरियों के आरक्षण के लिये पात्रता हेतु प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन का प्रारूप।

(तथापि, यह प्रारूप केवल मॉडल के रूप में प्रयुक्त किया जावेगा। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त मर्दाने स्थानीय स्थिति की उपयुक्तके अनुसार प्रारम्भ में सम्मिलित की जा सकेगी।)

प्रेषिती

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाए।

मैं आवश्यक विशिष्टताएँ नीचे दे रहा हूँ:-

- 1- आवेदक का पूरा नाम :  
(बड़े अक्षरों में)
- 2- जन्म तिथि :
- 3- निवास का पूर्ण पता :  
(क) वर्तमान  
(ख) स्थाई
- 4- धर्म
- 5- जाति
- 6- उपजाति :
- 7- उपजीविका - वर्ग
- 8- अ.पि.व. की राज्य सूची में जाति कार्यक्रम संख्यांक :
- 9- पिता का नाम
- 10- माता का नाम :
- 11- पति का नाम
- 12- माता-पिता/पति की प्रास्थिति

पिता

माता

पति

[क] संवैधानिक पद

[ख] पद नाम

[ग] सरकारी सेवायें

पिता

माता

पति

(i) सेवा (केन्द्रीय/राज्य)

(ii) पद नाम

(iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो।

- (iv) पद पर नियुक्ति की तारीख
- (v) वर्ग/पद पर पदोन्नति के समय आयु (यदि लागू न हो)
- (ii) अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन
- (i) संगठन का नाम
- (ii) पद नाम
- (iii) सेवा की कालावधि  
(दिनांक ..... से ..... तक)
- (iii) मृत्यु/स्थायी अक्षमता (यदि लागू हो तो छोड़ दीजिए)
- (i) मृत्यु/अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो।
- (ii) स्थायी अक्षमता का ब्यौरा
- (ग) पब्लिक सेक्टर उद्घरण आदि में नियोजन
- (i) संगठन का नाम
- (ii) पद का नाम
- (iii) पद पर नियुक्ति की तारीख
- (घ) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल

(इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे)

- (i) पद नाम
- (ii) वेतनमान
- (ड) व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये व्यक्ति।
- (i) उप-जीविका/वृत्ति
- (च) सम्पत्ति के स्वामी

(ख) कृषि जैसे (माता, पिता और अव्यस्क बच्चों के स्वामीत्व में)

- (1) अवस्थिति
- (2) जोत का आकार
- (3) क - सिंचित

सिंचित भूमि का प्रकार

- 1.
- 2.
- 3.

(ख) असिंचित।

4. राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।

5. यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो-राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।

6. 4, 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

(ग) बागान

- 1 फसल/फल
- 2 अवस्थिति
- 3 बागान का क्षेत्र

(घ) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और/या भवन

1 सम्पत्ति की अवस्थिति।

2 सम्पत्ति का ब्यौरा

3 उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

(ड) आय/धन।

(च) 1 समस्त स्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वित्तों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)

2 क्या करदाता है (हां/नहीं) ( ) यदि हां तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे।

3 क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां/नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए)

(छ) अन्य कोई अभ्यक्तियां।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों की किमीलेयर का नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अभ्यक्ति नियुक्ति रद्दीकरणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और या नियमों के उपाबधित की जायें।

भवदीय,

स्थान.

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार के अधीन के पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप :-

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी .....  
सुपुत्र/पुत्री/पत्नी/..... ग्राम/नगर.....  
जिला/खण्ड ..... राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना  
प.11(125)आर.एण्ड पी./सकवि/46631 दिनांक 27.8.93 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिये  
पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से .....  
..... वर्ग/जाति के सदस्य हैं। श्री .....  
और/या उसका कुटुम्ब ..... राज्य के .....  
..... जिला खण्ड ..... में स्थायी तौर से निवास  
करता है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि राज्य की अधिसूचना, संख्या प.9 (8)कार्मिक/क-5/90 दिनांक  
28.9.93 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के यस्तम्भ 3 में उल्लेखित अपवर्जन का नियम इन पर लागू  
नहीं होता है। अर्थात् उक्त अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) का नहीं है

हस्ताक्षर  
जाति प्रमाण-पत्र जारी करने  
वाले अधिकारी

दिनांक  
मोहर

(अक्षरे दस रुपये (10/-) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर का समयवधि एक वर्ष वृद्धि के शपथ पत्र का प्रारूप

श्री ..... पत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..... राज्य .....  
निवासी ..... तहसील .....

राजस्थान शपथ पूर्वक निम्न प्रकार बयान / घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि -

1. राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के संबंध में मुझे सक्षम अधिकृत (कार्यालय का नाम) ..... से क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा एक वर्ष के लिए प्रमाण पत्र जारी हुआ था।
2. मेरी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय के अनुसार आगामी एक वर्ष के लिए भी मैं राज्य सरकार द्वारा घोषित क्रीमीलेयर की सीमा नहीं हूँ।
3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 3 तक मेरी निजी जानकारी में सत्य एवं सही है। इसमें कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम ..... पति का नाम .....  
जाति ..... उम्र ..... वर्ष, निवासी .....  
ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथ पूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणिकृत किया जाता है।

हस्ताक्षरकर्ता

स्थान  
दिनांक

प्रमाणिकरण अधिकारी (कोर्ट/पालिके मजिस्ट्रेट / नोटेरी पब्लिक)  
का नाम व पदमय सील

परिशिष्ट: 1

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

क्रमांक प. 8(10)प्र.सु./अनु3/2011

दिनांक: 23-7-2015

## आदेश

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकरस्पद / फर्जी एवं अनाधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य अग्रसरक सुविधाओं का लाभ से रहें है, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन्मजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। इस संदर्भ में यानीनय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने का निर्णय दिये है। अतः ऐसे शंकरस्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाता है:-

■ जिला स्तरीय

- |  |         |
|--|---------|
| 1. जिला कलक्टर   | अध्यक्ष |
| 2. अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)   | समन्वयक |
| 3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा), जिला प्रीषद | सदस्य   |
| 4. स्थिति उप जिला मजिस्ट्रेट / उपलण्ड अधिकारी                                    | सदस्य   |
| 5. जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अशिक्षारिता विभाग                              | सदस्य   |

जिला स्तरीय छानबीन समिति के कार्य एवं शक्तियां

1. समिति की बैठक प्रतिमाह आवश्यक रूप से की जाएगी तथा समिति में जो भी मामले प्राप्त होंगे उन सब मामलों का एक रजिस्टर में नियमित रूप से संभारण किया जायेगा। तथा समिति की बैठक आयोजित करने के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व (समन्वयक) प्रभारी अधिकारी होंगे।
2. समिति में झूटे, फर्जी एवं शंकरस्पद जाति प्रमाण-पत्रों के मामलों दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिखा जाकर जाति प्रमाण-पत्र की वैधता/अवैधता के संघ में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगी। तथा उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा अविलम्ब संघीत पक्षों को दी जायेगी। न्यायसिग की स्थिति में उसके माता-पिता / संरक्षक को सूचना प्रेषित की जायेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का अंशन किया जाना आवश्यक होगा।

3. जाति प्रमाण पत्रों की संख्या का परीक्षण करने के समय उचित प्रमाणों तथा आवश्यकताओं को जिसका जाति प्रमाण-पत्र है उसको अपना पास रखने हेतु समुचित अक्षर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये जा सकेंगे।
4. जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में दिशानिर्देशों एवं बत फस जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से अर्थात् होने पर वह राज्य स्तर पर जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेगी। राज्य स्तरीय समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 0(10) प्रोसुओ/अनु-3/2011 जयपुर दिनांक 18.03.11 द्वारा किया गया है।
5. संकरस्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
6. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
7. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे रुज्त हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायफ ( unfit ) घोषित करना।
8. गलत प्रमाण पत्र के मापने में नियोक्ता/ शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पर से बर्खास्त करने के आदेश करना।

(रमेश चंद्र भारद्वाज)  
शासन उप सचिव

दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु प्रेषित है:-

- 1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामंत्री राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राज्य मण्डल राजस्थान जयपुर
- 5) निजी सचिव, भारत मंत्रालय/ राज्य मंत्रालय राजस्थान सरकार जयपुर
- 6) सपरान्त प्रमुख सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) भारत विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) सचिव, समाधिगत न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- 11) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 12) भारत संसदीय आयुक्त
- 13) राजस्थान विद्या कलेक्टर
- 14) राजस्थान जिला पुलिस अधीक्षक
- 15) सचिव राजस्थान आयोग/ बोर्ड
- 16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक-एफ 11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/54/59 जयपुर दिनांक 09/09/2015

जाति प्रमाण-पत्र - दिशा निर्देश

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. जाति प्रमाण पत्र :- जाति प्रमाण पत्र से तात्पर्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये समय-समय पर जारी किये गये गजट नोटिफिकेशन / अधिसूचनाओं में शामिल जातियों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किये गये प्रमाण पत्र से है।
2. जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी:- जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जायेंगे।
3. जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया:-
  - (A) आवेदक-
    - (i) राजस्थान राज्य का मूल निवासी :- ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग का राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
    - (ii) अन्य राज्यों से माईग्रेट होकर आये व्यक्तियों के संबंध में :- यदि आवेदक मूल रूप से राजस्थान राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य का निवासी है तथा माईग्रेट होकर शिक्षा / रोजगार आदि प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहा है तथा यही से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो उस व्यक्ति की संतान को राजस्थान राज्य में जन्म के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन हेतु पात्र होगी।
  - (B) आवेदन पत्र का प्रारूप एवं सलंगन किये जाने वाले दस्तावेज :-
    - (i) SC/ST हेतु आवेदन परिशिष्ट 'अ' अनुसार
    - (ii) OBC/SBC हेतु आवेदन परिशिष्ट 'क' अनुसार

सलंगन दस्तावेज सूची

- (i) राशनकार्ड / मतदाता सूची / अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज / किरायोनामा / गैस कनेक्शन / बिजली, पानी, टेलिफोन का बिल / शिक्षा प्रमाण-पत्र।
- (ii) पिता की जाति का साक्ष्य हेतु प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो) मूमि की जमा बन्दी, आय प्रमाण-पत्र हेतु (जिनके पास आई.टी.आर एवं राज्य/केन्द्रीय

M 9.9.15

अधिकारी/कर्मचारी की वेतन पत्र/पे-स्लीप नहीं है तो निर्धारित प्रमाण-पत्र में दो अलग-अलग राज्य केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सलंगन करें। आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज/ मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जाति का उल्लेख हो यदि उपलब्ध हो तो आवेदन पत्र के साथ सलंगन किया जावेगा।

- (III) OBC/SBC के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा देय साक्ष्य (परिशिष्ट-घ) अनुसार, उत्तरदायी व्यक्ति से आशय संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/ जिला प्रमुख/ प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/ सरपंच / राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से है।
- (IV) आवेदन पत्र में आवेदक के पास आधार नम्बर/भामाशाह कार्ड होने की स्थिति में उक्त नम्बर का अंकन किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नहीं है एवं उसके परिवार के मुखिया को जारी किये गये भामाशाह कार्ड में उसका नाम अंकित है तो मुखिया को जारी भामाशाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगी।

(C) आवेदन जांच एवं आवेदन पत्र तथा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप-

(I) सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिक यथा पटवारी/गिरदावर आदि से गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किये गये पत्रांक संख्या BC.12025/276- SCT.1 22 मार्च 1977 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-k) आवेदक के पैतृक/ स्वयं के राजस्व रिकार्ड आदि में उसके जाति का परीक्षण करवाया जायेगा इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो शैक्षणिक रिकार्ड/नगरपालिका/ग्राम पंचायत के रिकार्ड का भी जांच/परीक्षण किया जा सकेगा जिसमें उसके स्वयं /पैतृक जाति की पुष्टि होती हो। परीक्षण उपरान्त जाति प्रमाण पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी द्विभाषा में एक साथ ही जारी किया जायेगा।

- (II) SC/ST एवं OBC/SBC हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट 'ब' 'ख' 'ग' अनुसार ही मान्य होगा।
- (III) OBC/SBC के लिये जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप उपरोक्त परिशिष्ट ख व ग के अनुसार क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी पैरा 3 को काटकर (Delete) कर जारी किया जायेगा।
- (IV) भारत सरकार में नियुक्तियों के लिये परिशिष्ट-घ अनुसार

(D) जाति प्रमाण-पत्र की संशोधित एवं दोहरी प्रति :- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित परिस्थितियों में दुबारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।

- (I) प्रमाण-पत्र गुम हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate Copy) जारी की सकेगी।
- (II) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।
- (III) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए मांग करने पर नये फोटो युक्त नवीन प्रमाण-पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावेगा।

(IV) यदि जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाला सक्षम अधिकारी आवेदक के आवेदन को किसी कारण से खारिज/निरस्त करता है तथा आवेदक यह महसूस करता है कि उसका आवेदन पत्र एवं उसके साथ समस्त सलंगन दस्तावेज सत्य है तथा वह उक्त जाति प्रमाण-पत्र

मे जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति के अध्यक्ष को लिखित मे समस्त साक्ष्यो सहित आवेदन कर सकेगा। जिला स्तरीय समिति उक्त आवेदन पत्र का गहनता से जांच/परीक्षण कर यदि समिति का यह निष्कर्ष रहता है कि आवेदक का आवेदन पत्र सही है तो वह संबन्धित सक्षम अधिकारी को नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निर्देश दे सकेगी। एवं यदि आवेदन पत्र खारिज योग्य पाया जाता है तो उसे समिति द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा परन्तु निरस्त का आदेश कारणो सहित जारी किया जायेगा।

4. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि :-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि OBC के लिये संबन्धी प्रमाण-पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर मे नही होने संबन्धी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
2. क्रिमीलेयर मे नही होने संबन्धी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर मे नही होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे भी क्रिमीलेयर मे नही है तो ऐसी स्थिति मे उससे सत्यापित शपथ-पत्र (परिशिष्ट-इ) लेकर पूर्व मे जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

5. जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक द्वारा उक्त जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान मे प्रवेश लेने, किसी नियोक्ता के अधीन सेवा मे नियोजित होने या अन्य किसी प्रयोजन के लिए यदि उक्त जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर कोई आरक्षण/रियायत प्राप्त की गयी हो तो शैक्षणिक संस्थान, नियोक्ता या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा उक्त जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन करवाये जाने की स्थिति मे जिला कलक्टर द्वारा उक्त जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन करवाया जाकर सत्यापन रिपोर्ट संबन्धित प्राधिकारी को उनके वांछितानुसार भिजवायी जा सकेगी। उक्त सत्यापन रिपोर्ट 6 माह में आवश्यक रूप से भिजवाई जानी आवश्यक होगी। यदि कोई प्रकरण सतर्कता समिति एवं छानबीन समिति मे विचाराधीन है तथा उसमे अन्तिम निर्णय मे विलम्ब हो रहा हो तथा शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता के यहां पर निर्धारित अंतिम तिथि निकल गयी हो तो शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता द्वारा अस्थायी (PROVISIONAL) प्रवेश/नियुक्ति दी जाएगी तथा वह प्रवेश/नियुक्ति छानबीन समिति के निर्णय के अधीन रहेगी।

6. जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति :-

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के शंकाप्रसंद, फर्जी / झूठा जाति प्रमाण-पत्र जारी हो जाने की स्थिति मे एवं जाति प्रमाण-पत्र की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त जाति प्रमाण-पत्र के परीक्षण/जांच हेतु प्रत्येक जिले मे एक जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सतर्कता समिति का प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.6(10)प्र0सु0./अनु. 3/2011 दिनांक 23.07.15 को गठन किया गया है। (परिशिष्ट-बी) जो कि निम्न प्रकार से है :-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. जिला कलक्टर  | अध्यक्ष |
| 2. अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)  | समन्वयक |
| 3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा), जिला परिषद | सदस्य   |
| 4. संबन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/ उपखण्ड अधिकारी                                  | सदस्य   |
| 5. जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग                               | सदस्य   |

उपरोक्त समिति में झूठे फर्जी एवं शंकास्पद जाति प्रमाण-पत्रों के मामले दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रमाण-पत्र की वैधता/अवैधता के संबंध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगी। तथा संबन्धित पक्षों को उक्त निर्णय से फंजीकृत उक्त द्वारा अविलम्ब सूचना दी जावेगी। परन्तु उक्त सूचना अधिकतम एक माह में दी जावेगी तथा नाबालिग की स्थिति में उसके माता-पिता/संरक्षक को तत्काल सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का अंकन किया जाना आवश्यक होगा। तथा निर्णय की सूचना शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता को भी तत्काल दी जावेगी।

जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता का परीक्षण करने के समय सम्बन्धित पक्षों तथा शिकायतकर्ता एवं जिसका जाति प्रमाण-पत्र है उसको अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किया जावेगा एवं नाबालिग की स्थिति में उसके माता-पिता/संरक्षक को ऐसे नोटिस जारी किये जा सकेंगे।

### 7. जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध राज्य स्तरीय छानबीन एवं सतर्कता समिति में

#### अपील :-

जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में शिकायतकर्ता एवं वह पक्ष जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असुतष्ट होने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति में जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेंगी।

झूठे एवं शंकास्पद/फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 6(10)प्र.सु.वि/अनु-3/2011 जयपुर दिनांक 18.03.2011 (परिशिष्ट-ए) द्वारा निम्न प्रकार से राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया है :-

- |  |         |
|--|---------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | अध्यक्ष |
| 2. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग    | सदस्य   |
| 3. शासन सचिव, जनजातिय विकास विभाग                      | सदस्य   |

उक्त राज्य स्तरीय छानबीन समिति जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति से प्राप्त निर्णय के विरुद्ध अपील दायर होने पर युक्तियुक्त समय में उक्त जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जिला स्तरीय समिति के निर्णय का परीक्षण करेगी तथा आवश्यकता होने पर अपने स्तर पर पुनः संबन्धित प्रकरण यथा जाति प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत किये गये साक्ष्य/दस्तावेज एवं जिला स्तर पर की गयी जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर अपने स्तर पर निर्णय करेगी। एवं राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय उचित है तो अपील को राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। एवं जिला स्तरीय समिति का निर्णय अनुचित पाये जाने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में उचित आदेश जारी किया जा सकेगा जिसकी पालनाके लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी बाध्य होगा एवं इस निर्णय को केवल माननीय उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकेगी। छानबीन समिति द्वारा पारित किए गये निर्णय को शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता को तत्काल निर्णय से अवगत कराया जावेगा।

### 8. राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ :-

जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल करने बाबत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11(1)/छा0स0/आरएण्डपी/सान्याअवि/12/40560 दिनांक 04.08.14 द्वारा निम्न प्रकार से एक राज्य प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।(परिशिष्ट-सी)

1. उपनिदेशक(पिजा0) मुख्यवास सान्याअवि जयपुर।
2. विधिअधिकारी / विधि सहायक मुख्यवास सान्याअवि जयपुर।

A 9.9.11



- 3. संबंधित समाज कल्याण अधिकारी
- 4. संबंधित संयुक्त शासन सचिव / उपशासन सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विभाग जयपुर।  
उपरोक्त प्रकोष्ठ छानबीन समिति के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

9. झूठे जाति प्रमाण पत्रों के संबन्ध में दण्डात्मक कार्यावाही:-

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये जाति प्रमाण पत्र के संबन्ध में जाँच के पश्चात यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत तथ्यों / साक्ष्यों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उसके विरुद्ध आवश्यक रूप से कानूनी कार्यावाही की जा सकेगी। इसके अलावा जाति प्रमाण जारी करने वाले सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा यदि निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों का उल्लंघन करके अवेध प्रमाण पत्र जारी किया है तो उन दोषी कार्मिकों / प्राधिकारियों के विरुद्ध भी आवश्यक रूप से कानूनी कार्यावाही की जावेगी।

10. रिकार्ड संचारण -

(i) जाति प्रमाण-पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि व्यक्ति के पूर्वजो एवं भावी पीढी की पहचान का आधार होता है जाति प्रमाण-पत्र के संबन्ध में प्रत्येक तहसील कार्यालय में एक संकलित स्थायी रजिस्टर का संचारण करते हुए उक्त समस्त रिकार्ड साफ-सुथरे एवं अच्छी सुरक्षा में रखे जायेगे तथा उक्त जाति प्रमाण-पत्रों का आजीवन स्थाई रिकार्ड संचारित किया जावेगा। उक्त रिकार्ड निरीक्षण के लिये सदैव उपलब्ध करवाये जायेगे।

(ii) रिकार्ड रखरखाव अवधि-


(क) जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों का एक संकलित रजिस्टर / रिकार्ड संचारित किया जायेगा जो कि स्थायी रूप से आजीवन रहेगा।

(ख) व्यक्तिगत जाति प्रमाण पत्रों की एक प्रति कार्यालय रिकार्ड में रखी जायेगी तथा उसकी रखरखाव की अवधि न्यूनतम 30 वर्ष होगी।

11. ऑन लाईन आवेदन :- अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में समस्त दस्तावेजो सहित सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत ई-मित्र केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं जिले में नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित किये जाने वाले सीएससी केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) के माध्यम से जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जायेगा। सभी जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वेबसाइट से ऑन-लाईन जारी किये जायेगें। आवेदन पत्र में आवेदक के पास आधार नम्बर / मामाशाह कार्ड होने की स्थिति में उक्त नम्बर का अंकन किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नहीं है एवं उसके परिवार के मुखिया को जारी किये गये मामाशाह कार्ड में उसका नाम अंकित है तो मुखिया को जारी मामाशाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगी।

उक्त दिशा-निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
9.9.2015  
(सुदर्शन सेठी)  
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/ 54160-290 जयपुर दिनांक 09/09/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय सान्याअवि राजस्थान सरकार जयपुर
- 2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 3) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 4) समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 5) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 6) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 7) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 8) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- 9) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 10) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 11) समस्त जिला कलक्टर.....
- 12) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
- 13) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.....
- 14) समस्त जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
- 15) गार्ड फाईल

M 9.9.15  
(अम्बरीष कुमार)  
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट - अ

कोर्ट फीस स्टाम्प

2/- रुपये

जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र  
(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति)

1. आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को / से चयन करें)

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का मामाशाह कार्ड संख्या

1. प्रार्थी का नाम\*

2. पिता का नाम\*

3. निवासी स्थान का पूर्ण पता\*

(क) वर्तमान पता :-

(ख) स्थाई पता :-

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

(अभिराधा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावे)

4. गाँव/शहर\*

तहसील\*

जिला\*

5. जन्म दिनांक:

जन्म स्थान

उम्र

6. लिंग\*

पुरुष

महिला

वैवाहिक स्थिति :

विवाहित

अविवाहित

7- धर्म (आवेदक)\*:

जाति\* :

अनुसूचित जाति / जनजाति

उप जाति\*

8. धर्म (पिता का)\*

जाति\* :

उप जाति\*

9. प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है\*

10. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है\*

हाँ

नहीं

11. मोबाईल नम्बर

(जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहता है)

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं।

जन्म दिनांक:

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी [ ]  
पुत्र/पुत्री श्री [ ] निवासी [ ]  
के/की है। यह अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति [ ] का/की है।  
प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर [ ] दिनांक [ ]

हस्ताक्षर पटवारी  
हलका नं .....

प्रमाण-पत्र

(i) गवाह\* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
निवासी [ ]  
विभाग का नाम [ ] पद [ ] पर  
कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,  
प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
निवासी [ ]  
को भली प्रकार से जानता हूँ ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति [ ]  
का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह\* :

मैं [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
निवासी [ ]  
विभाग का नाम [ ] पद [ ] पर  
पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,  
प्रार्थी/प्रार्थीया [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ]  
निवासी [ ]  
को भली प्रकार से जानता हूँ ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति [ ]  
का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें :-  
आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकारें (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

राशन कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक सम्बन्धी/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी, टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।

पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा- संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी-कर्मचारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी /महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता

### शपथ-पत्र

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

गांव/शहर  तहसील  जिला

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :

(1) मैं राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति  का/की सदस्य हूँ।

(2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।

(3) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।

(4) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि सूचना सं. 1 से 4 की उपर्युक्त विशिष्टियों मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं, ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

### जाति का प्रमाण पत्र

आवेदक का आधार नम्बर \_\_\_\_\_

आवेदक/परिवार के मुखिया का सामाशाह कार्ड संख्या \_\_\_\_\_

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_

सुपुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_

गांव/नगर \_\_\_\_\_

जिला/डिवीजन \_\_\_\_\_

राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_

जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार जाति/अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है :-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियाँ (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित )

संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1982, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति, आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_

और अथवा उसी परिवार \_\_\_\_\_

गांव/नगर \_\_\_\_\_

जिला/डिवीजन \_\_\_\_\_

राज्य। संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_

में

सामान्यतया रहता है।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पद नाम \_\_\_\_\_

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान \_\_\_\_\_

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

कृपया उन शब्दों को हटा दीजिये जो लागू नहीं है।

विशेष ध्यान दें।

यहां प्रयुक्त हुए सामान्यतया रहता है। शब्दों का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनधित्व अधिनियम, 1950

की धारा 20 में है।

## परिशिष्ट - क

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नौकरियों के आरक्षण के लिये पात्रता हेतु प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन का प्रारूप।

(तथापि, यह प्रारूप केवल मॉडल के रूप में प्रयुक्त किया जावेगा। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त मर्दाने स्थानीय स्थिति की उपयुक्तता के अनुसार प्रारम्भ में सम्मिलित की जा सकेगी)

प्रेषिती

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाए।

मैं आवश्यक विशिष्टियाँ नीचे दे रहा हूँ:-

आवेदक का आधार नम्बर	
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या	

- 1- आवेदक का पूरा नाम :  
(बड़े अक्षरों में)
- 2- जन्म तिथि :
- 3- निवास का पूर्ण पता :  
(क) वर्तमान  
(ख) स्थाई
- 4- धर्म
- 5- जाति
- 6- उपजाति :
- 7- उपजीविका - वर्ग
- 8- अ.पि.व. की राज्य सूची में जाति का क्रम संख्यांक :
- 9- पिता का नाम
- 10- माता का नाम :
- 11- पति का नाम
- 12- माता-पिता/पति की प्रास्थिति

पिता

माता

पति

[क] संवैधानिक पद

[ख] पद नाम

[ग] सरकारी सेवायें

पिता

माता

पति

- (i) सेवा (केन्द्रीय/राज्य)
- (ii) पद नाम
- (iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो।

- (iv) पद पर नियुक्ति की तारीख  
 (v) वर्ग/पद पर पदोन्नति के समय आयु (यदि लागू न हो)
- (ii) अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन
- (i) संगठन का नाम  
 (ii) पद नाम  
 (iii) सेवा की कालावधि (दिनांक ..... से ..... तक)
- (iii) मृत्यु/स्थायी अक्षमता (यदि लागू हो तो छोड़ दीजिए)
- (i) मृत्यु/अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो।  
 (ii) स्थायी अक्षमता का ब्यौरा  
 (ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन
- (i) संगठन का नाम  
 (ii) पद का नाम  
 (iii) पद पर नियुक्ति की तारीख  
 (घ) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल

(इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे)

- (i) पद नाम  
 (ii) वेतनमान  
 (ङ) व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये व्यक्ति।
- (i) उप-जीविका/वृत्ति  
 (च) सम्पत्ति के स्वामी

- (छ) कृषि जैसे (माता, पिता और अव्यस्क बच्चों के स्वामीत्व में)
- (1) अवस्थिति  
 (2) जोत का आकार  
 (3) क - सिंचित  
 सिंचित मृमि का प्रकार
- 1.
  - 2.
  - 3.



(ख) असिंचित।

4. राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।
5. यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो—राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।
6. 4, 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

(ग) बागान

- 1 फसल/फल
- 2 अवस्थिति
- 3 बागान का क्षेत्र

(घ) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और/या भवन

- 1 सम्पत्ति की अवस्थिति।
- 2 सम्पत्ति का ब्यौरा
- 3 उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

(ङ) आय/धन।

- (च) 1 समस्त स्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वित्तों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)
- 2 क्या करदाता है (हां/नहीं) ( ) यदि हां तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे।
- 3 क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां/नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए)

(छ) अन्य कोई अम्युक्तियां।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त विशिष्टीयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों की किमीलेयर का नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अम्युक्ति नियुक्ति रद्दीकरणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और या नियमों के उपाबधित की जायें।

भवदीय,

स्थान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

फोटो

रजिस्ट्रेशन .....

दिनांक :

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा  
क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने  
के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या


यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_  
राजस्थान राज्य के जिला \_\_\_\_\_ में ग्राम/नगर  
\_\_\_\_\_ की निवासी हैं तथा वे/और या इनका कुटुम्ब यहां  
स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते हैं।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ राज्य सरकार के सामाजिक  
न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी/एसजेईडी/  
09/47032 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की  
अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से \_\_\_\_\_  
वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के  
क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या  
प/7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के  
अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर  
कार्यालय की मोहर/सील सहित

\*(राज्य के पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों  
तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

परिशिष्ट- ग



रजिस्ट्रेशन .....

दिनांक :

राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का होने तथा  
क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के  
प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_  
राजस्थान राज्य के जिला \_\_\_\_\_ में ग्राम/नगर  
\_\_\_\_\_ की निवासी हैं तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहां  
स्थायी रूप से निवास करता/करती/करते हैं।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ राज्य सरकार के सामाजिक  
न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड  
पी/एसजेईडी/09/46855 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के विशेष  
पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से  
\_\_\_\_\_ वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के  
क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या  
प/7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के  
अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर  
कार्यालय की मोहर/सील सहित

\*(राज्य के विशेष पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों  
और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

83

परिशिक्त-घ

**THE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

AADHAR NO OF APPLICANT	_____
BHAMASHA CARD NO OF APPLICANT/HEAD OF FAMILY	_____

This is to certify that Shri/Smt/Kumari \_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_ of village/ town \_\_\_\_\_ in District/Division \_\_\_\_\_ in the State/Union Territory \_\_\_\_\_ belong to the \_\_\_\_\_ community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of social justice and Empowerment's resolution no \_\_\_\_\_ dated.....\* Shri/Smt/Kumari \_\_\_\_\_ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the \_\_\_\_\_ District/division of the \_\_\_\_\_ the State/Union Territory . This is also to certify that he/she does not belong to the person/section (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the scheduled to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93 - Estt (SCT) dated 8.9.1993\*\*

District Megistrate  
Deputy Commissioner etc .

Dated:

Seal

\*The authority issuing the certificate may have to mention the detail of Resolution of Government of india , in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.  
 \*\*As amended form time to time

NOTE :- The term " Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act, 1950.

78

परिशिष्ट-इ

शपथ-पत्र/बयान

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या

मैं  पुत्र/पुत्री श्री   
 निवासी   
 गांव/शहर  तहसील  जिला

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :

- (1) मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति  का/की सदस्य हूँ।
- (2) मेरे माता/पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपायद्व अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह 'क' वर्ग-1, समूह 'ख' वर्ग-2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल/जल/वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं/नहीं थे।
- (3) मेरे माता/पिता सरकारी/निजी क्षेत्र में  पद पर कार्यरत है/थे।
- (4) मेरे माता/पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय  रुपये हैं।
- (5) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
- (6) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
- (7) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वात्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रिमीलेयर का हूँ/नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ, चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थता/नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशांभा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

85

परिशिष्ट- च

पिछड़ा वर्ग साक्ष्य द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति

(i) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  कार्यालय का नाम

पद  पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  कार्यालय का नाम

पद  पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

80

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार विभाग

क्रमांक : प.6(10)प्र.सु.वि./अनु-3/2011

जयपुर दिनांक : 18.3.2011

आदेश

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकास्पद/फर्जी एवं अनधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। इस संबंध में गणनीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने के निर्णय दिये हैं। अतः ऐसे शंकास्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिए निम्नानुसार राज्य स्तरीय छानबीन समिति (State Level Scrutiny Committee) का गठन किया जाता है:-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, | अध्यक्ष |
| 2. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,    | सदस्य   |
| 3. शासन सचिव, जनजातीय विकास विभाग                       | सदस्य   |

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के कार्य (Functions/Duties of the State Level Scrutiny Committee):-

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निम्न कार्य होंगे:-

1. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में समय समय पर नीति निर्धारित करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
2. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
3. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
4. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
5. गलत प्रमाणपत्र के मामले में नियोक्ता/शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रबंधन को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।
6. विश्लेषण समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाली अन्य प्रवृत्तियां।
7. शंकास्पद जाति प्रमाणपत्र के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करके अन्तिम निर्णय करना।
8. विजिलेन्स सैल के सतर्कता अधिकारी को संबंधित जगह पर जांच करने की सूचना देना और उसका ब्यौरा प्राप्त करना।
9. विजिलेन्स सैल के कामकाज/कर्मचारियों की निशुक्ति आदि करना।

राज्य स्तरीय छानबीन समिति की शक्तियां (Powers of State Level Scrutiny Committee) :-

राज्य स्तरीय छानबीन समिति की निम्न शक्तियां होगी-

1. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए शंकास्पद/फर्जी एवं अनधिकृत रूप से जारी जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन करके उसे यथावत् रखने या भंग करने की संपूर्ण शक्तियां समिति की होगी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी रहेगा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के प्रावधान के तहत की गई कार्यवाही के अध्याधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय ऐसे प्रकरणों का निस्तारण जहां तक संभव हो यथाशीघ्र करेगा, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की अपील में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है।
3. शंकास्पद प्रमाणपत्रों के मामले में बचाव का उचित भौका देना होगा।
4. बचाव की समय-मर्यादा में बढ़ोतरी की जा सकती है।
6. पेश किये गये आधार/प्रमाण अमान्य करना।
8. गलत प्रमाणपत्र धारण करने के मामले को नैतिक अपमान मानकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
7. सजा के लिये कानूनी शिकायत दर्ज करवाना।


जो प्रमाण पत्र छानबीन समिति के सम्मल छानबीन हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनका निस्तारण छानबीन समिति यथासंभव शीघ्र किन्तु अधिकतम दो माह की अवधि में करेगी। यदि किसी मामले का निपटारा दो माह की अवधि में नहीं हो सकता हो तो छानबीन समिति उक्त अवधि को कारण अभिलेखित करते हुए अधिकतम छः माह तक और बढ़ा सकेगी।

जाति प्रमाण पत्रों के अभिलेखों का रख-रखाफ-

जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिनका संभारण जिस प्रकार से राजस्व प्रकरणों में दर्ज किया जाता है, उसी तरह से जाति प्रमाण पत्रों को भी दर्ज किया जाना चाहिये, जिस कारण में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये, वह अच्छी किस्म का, लेमिनेटेड हो। जाति प्रमाण पत्र की काउण्टर फाइल, अनुक्रमांक, दर्शन, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, मुद्रा, तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से,

  
राज्य स्तरीय उप सचिव




क्रमांक . प.6(10)प्र.सु.वि./अनु-3/2011

जयपुर दिनांक 18.3.2011

पतिमिति निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/सज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान, लोक सेवा आयोग, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. समस्त समांगीय आयुक्त.....।
13. समस्त जिला कलक्टर.....।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक.....।
15. सचिव, समस्त आयोग/शेड.....।
16. उप निदेशक /सहायक निदेशक/जिला परिधीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।

नोट : पतिमिति में समिति से संबंधित पत्र व्यवहार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से करें।

  
अनुभागाधिकारी

पौरशिष्ट: बी

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

क्रमांक प. 6(10)प्र.सु./अनु3/2011

दिनांक: 23-7-2015

आदेश

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकरस्पद / फर्जी एवं अनाधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। इस संबंध में मानीनय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने का निर्णय दिये है। अतः ऐसे शंकरस्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाता है:-

■ जिला स्तरीय

- |   |         |
|---|---------|
| 1. जिला कलक्टर  | अध्यक्ष |
| 2. अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)  | समन्वयक |
| 3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा), जिला परीषद | सदस्य   |
| 4. संवधित उप जिला मजिस्ट्रेट / उपखण्ड अधिकारी                                   | सदस्य   |
| 5. जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग                               | सदस्य   |

जिला स्तरीय छानबीन समिति के कार्य एवं शक्तियां

1. समिति की बैठक प्रतिमाह आवश्यक रूप से की जावेगी तथा समिति में जो भी मामले प्राप्त होंगे उन सब मामलों का एक रजिस्टर में नियमित रूप से संधारण किया जायेगा। तथा समिति की बैठक आयोजित करने के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व (समन्वयक) प्रभारी अधिकारी होंगे।
2. समिति में झूटे, फर्जी एवं शंकरस्पद जाति प्रमाण-पत्रों के मामलों दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रमाण-पत्र की वैधता/ अवैधता के संबंध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगी। तथा उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा अविलम्ब संवधित पक्षों को दी जावेगी। न्यायालिय की स्थिति में उसके माता-पिता / संरक्षक को सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का अंकन किया जाना आवश्यक होगा।

3. जाति प्रमाण पत्रों की सत्यता का परीक्षण करने के समय संबंधित पक्षों तथा शिकायतकर्ता एवं जिसका जाति प्रमाण-पत्र है उसको अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अपसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये जा सकेंगे।
4. जाति प्रमाण पत्र के संघर्ष में शिकायतकर्ता एवं वह पक्ष जिराके विरुद्ध शिकायत की गयी है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर बत राज्य स्तर छानबीन समिति में जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेगी। राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 8(10) प्र0सु0वि0/अनु-3/2011 जयपुर दिनांक 18.03.11 द्वारा किया गया है।
5. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवायी करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
6. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
7. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक ( unfit ) घोषित करना।
8. गलत प्रमाण पत्र के मामलों में नियोक्ता/ शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।

(रमेश चन्द्र भारद्वाज)  
शासन उप सचिव

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

- 1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, महागृहम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 5) निजी सचिव, समस्त मंत्रिमण/ राज्य मंत्रिमण राजस्थान सरकार, जयपुर
- 6) समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) समस्त विभागध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- 11) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 12) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 13) समस्त जिला कलेक्टर.....
- 14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
- 15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.....
- 16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....

शासन उप सचिव

पारितोषिक: सी

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, जयपुर

क्रमांक: एफ 11(1)( ) छा.स./आरएण्डपी/सान्याअवि/12/1/1 जयपुर, दिनांक: 04-08-2014

### आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में राज्य स्तरीय छानबीन समिति की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर निम्न प्रकार से एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिनमें निम्न अधिकारी होंगे :-

1. उप निदेशक (पि.जा) मुख्यालय।
2. मुख्यालय में पदस्थापित विधि सहायक/विधि अधिकारी।
3. सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी।
4. सम्बन्धित संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विभाग, जयपुर।

यह प्रकोष्ठ झूठे/शंकास्पद जाति प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों एवं जिला कलक्टर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट को राज्य स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सम्बन्धित पत्रावली पर अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत करेगा। इस कार्य हेतु (उप निदेशक, पिछड़ी जाति) प्रभारी अधिकारी होंगे।

(डॉ. मनजीत सिंह) 4/8/14  
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ 11(1)( )/छा.स./आरएण्डपी/सान्याअवि/12/1/1 जयपुर, दिनांक: 04-08-2014  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक (पिछड़ी जाति) मुख्यालय।
6. विधि सहायक/विधि अधिकारी, मुख्यालय।
7. आदेश पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/ जयपुर, दिनांक 26/10/2015  
6366-726

समस्त जिला कलक्टर

परिपत्र

(जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 09.09.15 के संबध में)

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबध में पत्रांक एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/54159 दिनांक 09.09.15 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है।

उक्त दिशा निर्देश जारी होने के पश्चात राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि उक्त दिशा निर्देशों में केवल उपखण्ड अधिकारी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी बनाया गया है जबकि जिलो में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) भी उपखण्ड अधिकारी के स्तर का अधिकारी होता है तथा उपखण्ड अधिकारी के पास अत्याधिक कार्यभार होने के फलस्वरूप सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) को भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये विशेष परिस्थितियों में जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

दिशा निर्देश के बिन्दू संख्या D(I) एवं D (II) में वर्णित व्यवस्था के संबध में यदि किसी आवेदक का जाति प्रमाण पत्र गुम हो जाता है, कट-फट जाता है, या खराब हो जाता है अथवा अपना नाम परिवर्तित कर लेता है, तो पुनः उसे किस आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावे, इस संबध में पूर्व में जारी किये गये दिशा निर्देश एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/54159 दिनांक 09.09.15 के बिन्दूओं में निम्नानुसार जोडा जाकर प्रविष्टी की जाती है।

**बिन्दू संख्या 2 :-** जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी में उपखण्ड मजिस्ट्रेट के साथ विशेष परिस्थितियों में जिला कलक्टर द्वारा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) को भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकेगा।

**बिन्दू संख्या 3 D (I) एवं D (II) :-** जाति प्रमाण पत्र की संशोधित एवं दोहरी प्रति में निम्नानुसार प्रविष्टि की जाती है।

**बिन्दू संख्या 3 D(I) क :-** किसी आवेदक का जाति प्रमाण पत्र गुम हो जाने पर, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर पुनः सक्षम अधिकारी द्वारा 3(C) (I) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार संशोधित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

**बिन्दू संख्या 3 D(II) ख :-** किसी आवेदक द्वारा नाम बदलने पर अथवा अन्य त्रुटि के कारण संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उक्त बिन्दू संख्या 3(C) (I) के अनुसार प्रक्रिया अपनानी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यकता होने पर जाति प्रमाण पत्र जारी किये जावें।

(सुदर्शन सेठी) 26.10.2015  
प्रमुख शासन सचिव

No.36011/1/2012-Estt.(Res.)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions  
Department of Personnel and Training  
Establishment Reservation - I Section

North Block, New Delhi-110 001  
Dated the 8<sup>th</sup> October, 2015.

OFFICE MEMORANDUM

**Subject:** Reiteration of the instructions on verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for purpose of appointment to posts/services.

The undersigned is directed to say that as per extant instructions where a candidate belonging to a Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (OBC) is unable to produce a certificate from any of the prescribed authorities, he/she may be appointed provisionally on the basis of whatever prima-facie proof he/she is able to produce in support of his/her claim subject to his/her furnishing the prescribed certificate within a reasonable time. Instructions have been issued vide DoPT's letter No.36022/1/2007-Estt.(Res.) dated 20.3.2007 to the Chief Secretaries of all States/UTs for streamlining the system of verification of caste certificates so that unscrupulous non-SC/ST/OBC persons are prevented from securing jobs meant for SCs/STs/OBCs by producing false certificates. Timely and effective verification of caste status is necessary so that the benefit of reservation and other scheme of concessions etc. go only to the rightful claimants.

2. In this regard, attention is invited to the instructions contained in the following Office Memoranda/Orders issued by this Department from time to time. A copy each of the Office Memoranda is enclosed:-

- (i) OM No. 36019/7/75-Estt. (SCT) dated 31.10.1975
- (ii) OM No. 36011/16/80 - Estt. (SCT) dated 27.02.1981
- (iii) OM No. 36011/3/2005-Estt. (Res.) dated 09.09.2005
- (iv) OM No. 36012/6/88-Estt.(SCT) dated 24.4.1990

3. Instances have been brought to the notice of this Department that despite the aforesaid instructions, the appointments of the candidates belonging to SC/ST/OBC communities are with-held/delayed due to pending caste certificates verification.

concl/-

4. It is, therefore, reiterated that in the situation where a candidate belonging to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes is unable to produce a certificate from any of the prescribed authorities, he/she may be appointed provisionally on the basis of whatever prima-facie proof he/she is able to produce in support of his/her claim subject to his/her furnishing the prescribed certificate within a reasonable time and if there is genuine difficulty in his/her obtaining a certificate, the appointing authority should itself verify his/her claim through the District Magistrate concerned.

5. All Ministries/ Departments are requested to bring the contents of this O.M. to the notice of all concerned.

G. Srinivasan  
(G. Srinivasan)

Deputy Secretary to the Government of India

To:

1. The Secretaries of all Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Financial Services, New Delhi
3. Department of Public Enterprises, New Delhi
4. Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhavan, New Delhi
5. Union Public Service Commission/ Supreme Court of India/Election Commission of India/ Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission
6. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi
7. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi
8. National Commission for SCs/National Commission for STs, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
9. National Commission for Backward Classes, Trikot-1, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi
10. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10 Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi - 110 002
11. Information and Facilitation Center, DoPT, North Block, New Delhi.
12. Director, ISTM, Old JNU Campus, Olof Palme Marg, New Delhi 110067
13. NIC, DoPT - to upload the same on DoPT Website.

No. 36011/1/2012-Estt.(Res.)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions  
Department of Personnel and Training  
Establishment Reservation - I Section  
\*\*\*\*\*

North Block, New Delhi-110 001  
Dated March, 14, 2016

To,  
The Chief Secretaries of all States/UTs

Subject: Reiteration of the instructions on streamlining the procedure for verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for purpose of appointment to posts/services - regarding

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Department's letter no. 36022/1/2007-Estt. (Res.) dated 20.03.2007 addressed to Chief Secretaries of all States/UTs (copy enclosed) regarding streamlining of the process for verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs). It was also requested to issue instructions to District Magistrates/District Collectors/ Deputy Commissioners to ensure at their own level the veracity of caste certificates so that unscrupulous non-SC/ST/OBC persons are prevented from securing jobs meant for SCs/STs/OBCs by producing false certificates.

2. Owing to difficulties faced by candidates belonging to these reserved communities in various states in securing employment due to delays in obtaining caste certificates, this Department, vide an Office Memorandum of even number dated 08.10.2015, has re-iterated the instructions on providing provisional appointment to such reserved category candidates who are unable to obtain an appropriate caste certificate in time. It has been reiterated therein that where a candidate belonging to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Class is unable to produce a certificate from any of the prescribed authorities, he/she may be appointed provisionally on the basis of whatever prima-facie proof he/she is able to produce in support of his/her claim, subject to his/her furnishing the prescribed certificate within a reasonable time. If there is genuine difficulty in his/her obtaining a certificate, the appointing authority should itself verify his/her claim through the District Magistrate concerned. A copy of the OM is enclosed for reference and perusal.



3. In order to ensure that the candidates belonging to reserved categories do not face unnecessary problems in obtaining caste certificates, it is requested that instructions issued to the concerned authorities in the light of the aforementioned letter dated 20.03.2007 may be reiterated for information/compliance of all concerned

4. It is also advised that in order to discourage unscrupulous activities, State Governments/UTs may consider issue of appropriate instructions for initiating disciplinary proceedings against the errant officers who default in timely verification of caste certificates or who issue false certificates.

End: as above

Yours faithfully,

G. Srinivasan

(G. Srinivasan)

Deputy Secretary to the Government of India

Copy to:

✓ Dir, NIC, DOPT - for placing it on the website of this Department for information of all concerned.

आदेश

अनुसूचित जाति /जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकाप्रसद, फर्जी/झूठा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य सुविधायों का लाभ ले रहे हैं जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक प.6(10)प्र.सु.वि./अनु-3/2011 दिनांक 18.03.2011 द्वारा राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया था परन्तु उक्त क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 15574/2013 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के अनुपालना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुमारी माधुरी पाटील व अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त जनजातिय विकास व अन्य प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पारित निर्देशों के अनुसरण में शंकाप्रसद, फर्जी/झूठा जाति प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिये राज्य स्तरीय छानबीन (State level Scrutiny Committee) समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अध्यक्ष
2. आयुक्त/निदेशक  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सदस्य
3. सचिव,  
राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग  
(जहाँ प्रकरण का संबंध अनुसूचित जाति से है)  
/राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग। सदस्य  
(सामाजिक स्तर/  
जनजाति समुदाय  
से विज्ञिकारी)  
(जहाँ प्रकरण का संबंध अनुसूचित जनजाति से संबंधित है)

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के कार्य (Functions/Duties of State level Scrutiny Committee):-

1. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में समय-समय पर नीति निर्धारण करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
2. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
3. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
4. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
5. गलत प्रमाण पत्रों के मामलों में नियुक्ता /शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।
6. विश्लेषण समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाली अन्य प्रवृत्तियां।
7. शंकास्पद जाति प्रमाण पत्र के मामलों में कानूनी कार्यवाही शुरू करके अंतिम निर्णय करना।
8. विजिलेन्स सैल के सर्तकता अधिकारी को संबंधित जगह पर जाँच करने की सूचना देना एवं उसका ब्यौरा प्राप्त करना।
9. विजिलेन्स सैल के कामकाज/कर्मचारियों की नियुक्ति आदि करना।

राज्य स्तरीय छानबीन समिति की शक्तियां (Power of State level Scrutiny Committee):-

1. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति /जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये शंकाप्रसद, फर्जी/झूठा एवं अनधिकृत रूप से जारी जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन करके उसे यथावत रखने या रद्द करने की सम्पूर्ण शक्तियां समिति को होंगी।
2. अनुसूचित जाति /जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये जारी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी रहेगा। यह

निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के प्रावधान के तहत की गयी कार्यवाही के अध्याधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय ऐसे प्रकरणों का निस्तारण जहां तक संभव हो यथाशीघ्र करेगा, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील नहीं की जा सकेगी। परन्तु संविधान के अनुच्छेद-136 के अध्याधीन प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकेगी।

3. शंकास्पद प्रमाणपत्रों के मामलों में बचाव का उचित मौका देना होगा।
  4. बचाव की समय-मर्यादा में बढ़ोतरी की जा सकती है।
  5. पेश किये गये आधार/प्रमाण अमान्य करना।
  6. गलत प्रमाण पत्र धारण करने के मामलों को नैतिक अधःपतन मानकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैर लायक (Unfit) घोषित करना।
  7. सजा के लिये कानूनी शिकायत दर्ज करवाना।
- जो प्रमाण पत्र छानबीन समिति के समक्ष छानबीन हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनका निस्तारण छानबीन समिति यथासंभव शीघ्र किन्तु अधिकतम दो माह की अवधि में करेगी। यदि किसी मामले का निपटारा दो माह की अवधि में नहीं हो सकता हो तो छानबीन समिति उक्त अवधि को कारण अभिलेखित करतें हुये अधिकतम छः माह तक और बढ़ा सकेगी।  
इस समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

(डॉ. प्रेम सिंह चारण)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) सचिव प्रथम व सचिव द्वितीय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 3) वरिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 5) निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
- 6) समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- 11) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 12) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 13) समस्त जिला कलक्टर.....
- 14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
- 15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.....
- 16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....

(के.के.खण्डेलवाल)  
अनुभाग अधिकारी

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1. राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट-3/7201

जयपुर दिनांक

21/02/2017

परिपत्र

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किये जा रहे हैं तथा राज्य के समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों द्वारा स्वयं के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत ई-मित्रों के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित किये जाते हैं। इन आवेदकों में विद्यालय स्तर में अध्ययनरत कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा या उनके अभिभावकों के माध्यम से उक्त आवेदन पत्र प्रेषित किये जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को काफी असुविधा महसूस होती है।

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 36028/1/2014- संस्थापन दिनांक 06.05.2016 (प्रति सलग्न) के अनुसार राज्य के विद्यालयों में कक्षा 5 या 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र विद्यालय के स्तर पर जारी किये जाने हैं।

उक्त निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र दिए जाने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थियों को आरक्षण के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार से सुविधाएं प्राप्त हो सकें एवं विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो।

उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1. विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापकों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वर्ष में एक बार जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र स्कूल स्तर पर ही भरवाये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र विद्यार्थी से भरवाए जाते समय संबन्धित स्कूल प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि निर्धारित आवेदन पत्र की रामस्त प्रविष्टियाँ सही- सही भरें ताकि विद्यार्थी को सही जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टि अंकित कर देने से गलत प्रविष्टि के आधार पर गलत जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकता है जिससे विद्यार्थी को भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी के सम्बन्ध में आवेदन पत्र में वांछित जानकारियों की सत्य प्रविष्टि करवाने की जिम्मेदारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक की रहेगी।
3. उक्त दस्तावेजों को बनवाने के लिये सितम्बर/अक्टूबर माह में कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा उक्त दस्तावेजों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित ई-मित्र/सी.एस.सी. केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

5. सक्षम प्राधिकारी उक्त आवेदनों की नियमानुसार जाँच कर समयावधि 30-60 दिवस में प्रमाण पत्र जारी करेंगे तथा यदि किसी विद्यार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना कारण सहित प्रधानाध्यपक/प्राचार्य को दी जावे एवं प्रधानाध्यपक/प्राचार्य द्वारा नियमानुसार इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी को अपील की जावे।
6. जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों को सुरक्षित सेलोफ़ैन कवर(Cellophane Cover) में उपलब्ध करवा दिया जावे तथा एक प्रति संबंधित वर्ग के छात्र-छात्राओं को लाभ/रियायतें/सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय में सुरक्षित रखी जावें।

अतः राज्य में संचालित समस्त सरकारी/गैरसरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापक उक्त आदेश के अनुसरण में उपरोक्त वर्णित प्रक्रियान्तर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी करवायेंगे।

यह परिपत्र शिक्षा विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट-3/202-75 जयपुर दिनांक 21/02/2017  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर .....
6. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, .....
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(मुख्यावास) को ई-मेल करवाने बाबत।
8. रक्षित पत्रावली

(रवि जैन)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
क न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर

क्रमांक:एफ11( )/SC/ST/OBC/SBC/R&P/DDBC/SJED/2012/10232-65 जयपुर, दिनांक 03-3-17

समस्त जिला कलक्टर

विषय:- जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 09.09.2015 की पालना सुनिश्चित करते हुए केवल ऑनलाईन सिस्टम से ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राज्य के कुछ जिले में कुछ उपखण्ड अधिकारियों द्वारा वर्तमान में ऑफलाईन जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा धानका, नायक जाति नाम से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 20.09.1976 के प्रतिकूल है। इसके अलावा यह भी अवगत कराया गया है कि जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों का रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है जो कि अनुचित है।

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र दिशानिर्देश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.2015 एवं 63706-726 दिनांक 20.10.2015 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो पूर्व में ही भिजवाये जा चुके हैं तथा विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

अतः पुनः जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले समस्त सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र दिशानिर्देश दिनांक 09.09.2015 एवं 20.10.2015 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए ऑनलाईन जारी किये जावें ताकि भारत सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में अंकित जाति नाम से ही पात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्राप्त हो तथा जारी किए गए उक्त प्रमाण पत्रों की एक प्रति कार्यालय रिकार्ड में रखना सुनिश्चित करें।

2/3  
(अशोक जैन)

अति. मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट-3

जयपुर दिनांक

31927

05/06/2017

संशोधित परिपत्र

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट-3/7201 जयपुर दिनांक 21.02.2017 द्वारा समस्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त परिपत्र में यह और सम्मिलित किया जाता है कि-

"जाति प्रमाण पत्र यथा संभव कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी को जारी किया जावेगा। यदि अपरिहार्य कारणों से किसी विद्यार्थी का उक्त जाति प्रमाण पत्र कक्षा 5 में जारी नहीं हो पाता है तो ऐसे विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र कक्षा 8 में भी जारी किया जा सकेगा।"

अतः राज्य में संचालित समस्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक परिपत्र क्रमांक 7201 दिनांक 21.02.2017 में वर्णित प्रक्रिया अन्तर्गत ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।

यह संशोधन शिक्षा विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट-3

31928-32000

जयपुर दिनांक

5/6/17

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर .....
6. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, .....
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(मुख्यावास) को ई-मेल करवाने बाबत।
8. रक्षित पत्रावली

(डॉ० समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट-3/7201

जयपुर दिनांक

21/02/2017

परिपत्र

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किये जा रहे हैं तथा राज्य के समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों द्वारा स्वयं के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत ई-मित्रों के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित किये जाते हैं। इन आवेदकों में विद्यालय स्तर में अध्ययनरत कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा या उनके अभिभावकों के माध्यम से उक्त आवेदन पत्र प्रेषित किये जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को काफी असुविधा महसूस होती है।

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशान मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 36028/1/2014- संस्थापन दिनांक 06.05.2016 (प्रति सलंगन) के अनुसार राज्य के विद्यालयों में कक्षा 5 या 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र विद्यालय के स्तर पर जारी किये जाने हैं।

उक्त निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र दिए जाने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थियों को आरक्षण के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार से सुविधाएँ प्राप्त हो सकें एवं विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो।

उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1. विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापकों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वर्ष में एक बार जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र स्कूल स्तर पर ही भरवाये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र विद्यार्थी से भरवाए जाते समय संबन्धित स्कूल प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि निर्धारित आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ सही- सही भरें ताकि विद्यार्थी को सही जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टि अंकित कर देने से गलत प्रविष्टि के आधार पर गलत जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकता है जिससे विद्यार्थी को भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड सकता है। विद्यार्थी के सम्बन्ध में आवेदन पत्र में वांछित जानकारियों की सत्य प्रविष्टि करवाने की जिम्मेदारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक की रहेगी।
3. उक्त दस्तावेजों को बनवाने के लिये सितम्बर/अक्टुबर माह में कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा उक्त दस्तावेजो को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित ई-मित्र/सी.एस.सी. केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।



5. सक्षम प्राधिकारी उक्त आवेदनों की नियमानुसार जाँच कर समयावधि 30-60 दिवस में प्रमाण पत्र जारी करेंगे तथा यदि किसी विद्यार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना कारण सहित प्रधानाध्यपक/प्राचार्य को दी जावे एवं प्रधानाध्यपक/प्राचार्य द्वारा नियमानुसार इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी को अपील की जावे।
6. जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद प्रधानाध्यपक/प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों को सुरक्षित सेलोफैन कवर(Cellophane Cover) में उपलब्ध करवा दिया जावे तथा एक प्रति संबधित वर्ग के छात्र-छात्राओं को लाभ/रियायतें/सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय में सुरक्षित रखी जावें।

अतः राज्य में संचालित समस्त सरकारी/गैरसरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापक उक्त आदेश के अनुसरण में उपरोक्त वर्णित प्रक्रियान्तर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी करवायेंगे।

यह परिपत्र शिक्षा विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय  
 2/12  
 (अशोक जैन)  
 अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट-3/202-25 जयपुर दिनांक 21/02/2017  
 प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर .....
6. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, .....
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(मुख्यावास) को ई-मेल करवाने बाबत।
8. रक्षित पत्रावली

(रवि जैन)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

105

No. 36028/1/2014-Estt.(Res.)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Department of Personnel & Training

Establishment - Reservation (I) Section

North Block, New Delhi

Dated: 06.5.2016

To,

The Chief Secretaries of all the States /Union Territories

Subject: Issue of SC/ST/Residence Certificate in School

\*\*\*\*

Madam/Sir,

607  
25/5/16

The Residence/Domicile Certificate is generally issued by the concerned authority of the State Government/Union Territory to prove that the person bearing the Certificate is a domicile/resident of the State/Union Territory by which the certificate is being issued. Such certificate is issued as proof of residence to avail Domicile/Resident quotas in educational institutional and in the State/Central Government services, as also in the case of jobs where preference to local residents is available as per government instructions from time to time.

2. The administrative responsibility of issue of residency and caste certificate is with the State Governments/Union Territories.

3. Government of India is examining the possibility of issue of 'Caste Certificate' and the 'Residence /Domicile Certificate' of the students from SC/ST communities all over the country when they are in Class V or Class VIII.

4. A suggestion has been made that the Head Master/Principal of the School in which the student is ~~studying~~ can get the necessary documents/papers ~~filled~~ up from the students, get them collected and submit them to the relevant State Government authority for making the requisite certificates. When the certificates are made, these can be given to the students and would be kept with them for safe custody to avail the benefits/concessions and facilities available to the concerned category of students.

4. In order to facilitate a uniform procedure, as a citizen friendly initiative, an advisory as per Annexure has been prepared and being circulated to all the States/Union Territories for their consideration, as far as practicable.

27/5/16

27/5/16

26/5/16  
30/5/16

3/6/16

100

5. It is requested that the State Governments/UTs may consider issue of appropriate instructions either based on these guidelines or according to their own convenience, in facilitating issue of such certificates.

Yours sincerely,

G. Srinivasan

(G. Srinivasan)  
Deputy Secretary to the Government of India

Copy to:

- (i) Secretary, Elementary Education, All States/Union Territories
- (ii) Secretary, Department of Welfare of SC/ST, All States/Union Territories

Copy to Director (NIC), DOP&T – with a request to place it on the website of this Department for information of all concerned



**Annexure**  
**Advisory to States/Union Territories on issue of Residence/Caste/Tribe Certificate to students in School**

*The Government is committed to ensuring citizen centric governance through citizen friendly initiative. A number of representations have been received by this department regarding difficulties faced by Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates and other than SC/ST students, in obtaining caste/tribe/residence certificates, while applying for admission, posts and services under the Central Government.*

*Issue of residence/caste/tribe certificate is under the domain of the State/UT administration. The Residence /Caste/Tribe Certificate is issued by the concerned authority of the State Government/Union Territory to prove that the person bearing the Certificate is a resident of the State/Union Territory by which the certificate is being issued.*

*This issue has been deliberated at various fora. The Department of School Education & literacy, Ministry of Human Resources Development has supported the initiative to prepare and distribute caste certificate to the students when they are in Class V.*

*This issue has also been discussed with the Principal Secretaries of various State Governments in a meeting chaired by the Minister of State for Personnel (Public Grievances & Pensions) on 22.04.2016. During this meeting, a few States have informed that they are already issuing such certificates.*

**Caste/Tribe/Residence Certificate to SC/ST students**

• With a view to ease the difficulties faced by the SC/ST students, it is proposed that "Caste or Tribe Certificate" and also the "Residence" certificate may be issued to SC/ST students, all over the country, while studying in Class V/Class VIII, as an annual exercise.

• The concerned State/Union Territory may decide the possibility of issuing such a certificate either in class V or Class VIII.

• Once the grade of class in which the certificate will be issued is decided, it should be issued to all students in the same grade throughout the State and the same should be continued as an annual exercise.

**Residence certificate**

• For students of other than SC/ST communities, it is proposed that Residence (Domicile Certificate) be issued to them while studying in Class V or VIII, as the case may be.

*G. Sivasan*

(102)

Proposed Procedure

- The Head Master of the School in which the student is studying would get the necessary documents/papers filled up from the students studying in Class V/VIII as an annual exercise for issue of Residence and also Caste/Tribe Certificate.
- A window of two months in September/October or any other time frame decided by the concerned State Government/Union Territory may be allocated/decided for completing this exercise.
- The School Head/Principal will get the documents collected from all the SC and ST students and also other than SC/ST students and arrange to submit them to the relevant State Government authority/revenue authorities for making the requisite certificates.
- The concerned revenue/State Government authorities may scrutinise those documents and may issue the relevant certificates within a period of 30-60 days.
- If the certificate of any student is rejected for issue of the relevant certificate, reasons will be provided and provision for one time appeal may be allowed by the State authorities.
- Once the certificate is made, it may be given to the students in cellophane cover, as far as practicable, through the School authorities and would be kept with them for safe custody for availing the benefits/concessions and facilities available to the concerned category of students.
- The possibility may also be explored to indicate the Scheduled Caste/Scheduled Tribe status in the Birth certificate.
- In States where acceptance for SC/ST/Domicile certificate is mandatorily done only through Citizen Service Centres, it will be responsibility of the Headmaster of the school for collection of the documents and ensuring that the application is digitally sent to the concerned authorities from the nearest Citizen Service Centres. If there is already a time limit prescribed by the State authorities through executive order or regulation for issuing such certificates, then such time frame may be adhered to.

\*\*\*\*\*

G. Srinivasan

राजस्थान सरकार  
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/पार्ट-ii/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/ जयपुर दिनांक 30/06/17  
37363

परिपत्र

विषय :- जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील पिटिशन संख्या 5854/1994 कुमारी माधुरी पाटील बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर सिविल पिटिशन संख्या 15574/2013 व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों की अनुपालना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में समस्त जिला कलेक्टर्स एवं सक्षम अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.2015 एवं क्रमांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। उक्त पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुसरण में ही नियमानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सूची में अधिसूचित की गयी जातियों की वर्तनी (Spelling) के अनुसार ही आवेदको की वास्तविक जाति का परीक्षण एवं जाँच पडताल पश्चात ही सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ जिलों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देशों की अनुपालना ठीक तरह से नहीं की जा रही है एवं अधिसूचनाओं में वर्णित जाति की वर्तनी (Spelling) का ठीक प्रकार से अवलोकन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण त्रुटिवश किन्ही व्यक्तियों को गलत जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकते हैं, विशेषतौर से जाति या समुदाय के नाम में 'ध्वन्यात्मक समानता' (Phonetic similarity) होने के कारण अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके संबंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने-वाले समस्त सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व आवेदक की जाति की भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं में अंकित

वर्तनी (Spelling) की उसके स्वयं/पैतृक राजस्व रिकार्ड या आवश्यकता होने पर अन्य रिकार्ड यथा ग्राम पंचायत/नगरपालिका के रिकार्ड इत्यादि में पूर्णतया पुष्टि होने के पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये उपरोक्त दिशा निर्देश एवं विभिन्न पत्र/परिपत्र के अनुसरण में ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। गलत जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र के संबंध में संबंधित प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

साथ ही शंकास्पद एवं झूठे जाति प्रमाण पत्र की शिकायतों के निस्तारण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(10) प्र.सु./अनु.3/2011 दिनांक 23.07.2015 द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय छानबीन एवं सतर्कता समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में दर्ज समस्त प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निर्णय किया जाए।

27/6  
(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/पार्ट-ii /जा.प्र.प/सान्याअवि/12/ जयपुर दिनांक 31/06/12  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:- 37364-650

- 1) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 2) समस्त जिला कलेक्टर.....
- 3) समस्त उपखण्ड अधिकारी.....
- 4) समस्त जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
- 5) एसी.पी. मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 6) गार्ड फाईल

(डॉ. समित शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक एफ 11 (125)/आरएण्डपी/सकवि/ 5353

जयपुर, दिनांक 23/1/2018

समस्त जिला कलक्टरस

विषय:- दरोगा, वजीर, हजूरी, रावणा-राजपूत को ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की अधिसूचना एफ 11 (125)/आरएण्डपी/सकवि/52307 दिनांक 06.08.1994 द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछडा वर्ग की सूची में क्रम संख्या 11 पर दरोगा, रावणा-राजपूत, हजूरी एवं वजीर को अधिसूचित किया गया था। राज्य पिछडा वर्ग आयोग के राय के अनुसार उक्त अधिसूचित जातियों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछडे वर्गों की सूची उनके सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें जाति, वर्ग द्वारा किये जाने वाला व्यवसाय तथा उनके निवास का स्थान महत्वपूर्ण होता है तथा एक ही वर्ग के सदस्यों को राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी संबोधित किया जाता है। इससे ये स्पष्ट है कि एक वर्ग के रूप में जो जातियां अधिसूचित है वे उसी वर्ग की अलग अलग नाम से पुकारी जाने वाली जातियां हैं तथा उस वर्ग का सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन समान है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त जाति यथा वजीर, हजूरी, दरोगा, रावणा-राजपूत चारों एक ही वर्ग की जातियां हैं और ये सभी अन्य पिछडा वर्ग के रूप में पूर्व से अधिसूचना 6 अगस्त 1994 द्वारा क्रम संख्या 11 पर अधिसूचित हैं।

अतः क्र.स. 11 पर अंकित उक्त जातियों को यथावत रखते हुये पूर्व में उल्लेखित वर्गों को स्वीकारते हुए रावणा-राजपूत के अलावा जाति प्रमाण पत्र में वजीर(रावणा-राजपूत), हजूरी(रावणा-राजपूत), दरोगा (रावणा-राजपूत) अंकित किया जा सकता है।

(जे.सी.) महान्ति  
अति० मुख्य सचिव

23/1/2018



राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1. सजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर

क्रमांक:एफ11(8)( )/R&P/DDBC/SJED/2018/

जयपुर, दिनांक

12733-65

15/02/2018

समस्त जिला कलेक्टर्स,  
.....।

विषय:- अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य में माइग्रेट होकर आये व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अन्य राज्यों से माइग्रेट व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्राप्त पत्र एवं जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भेजकर लेख है कि उक्त पत्र के अनुसरण में माइग्रेट व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

113

ACS TAD

mf  
18/11

81/585  
23-11-18  
DDBCL

F.No. 2015-02-2017-C&LM

Government of India  
Ministry of Tribal Affairs  
(C&LM Division)

\*\*\*\*\*

Dated: .01.2018

10/01/2018

387  
22/11/18

24-1-18  
25/1/18  
29/1/18

To,

Chief Secretaries of all State Governments / UT Administrations.

STAD

what action is needed

Subject: Issue of Scheduled Tribe Certificates to migrants from other

States/Union Territories.

circulate to all Collectors of the State & inform GNT

Comm. TAD

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to state that the National Commission for Scheduled Tribes has brought to the notice of this Ministry that they have been receiving complaints from the Scheduled Tribe individuals and their Associations regarding denial to issue Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Certificates to migrants from other States/Union Territories who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education etc. by designated authorities. It has also been pointed out by them that the State Governments/ UT Administrations have not issued any instructions to the issuing authorities for providing such certificates to the migrants from other States/UTs, despite the fact that Ministry of Home Affairs has at several times in the past issued instructions in this regard. A copy of a letter No. Policy/3/CC/2017/RU-III dated

108

2. 11.2015 received from National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in this regard is enclosed.

2. In this connection a copy of instructions issued by Ministry of Home Affairs vide a No. BC-16014/1/82-SC & BCD-I dated 22.02.1985 regarding 'Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates to migrants from other States/Union Territories' is enclosed herewith. It is requested that these instructions may be circulated to the Authorities issuing Scheduled Tribe Certificate in your State and suitable directions issued to them for strict compliance so as to remove the difficulties faced by migrant Scheduled Tribe persons in obtaining Scheduled Tribe Certificate.

(Shyla Titus)

Deputy Secretary to Govt. of India

Tel. 2618 2824

Encl: as above.

Signature valid

Digitally signed by SHYLA  
TITUS  
Date: 2015.01.14 11:59:47  
PST  
Reason: Approved

109

115



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

822  
4114

Se

छठी मंजिल वी विंग, लोकनायक भवन  
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003  
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,  
Khan Market, New Delhi - 110003

Dated 29.11.2017

No.Policy/3/CC/2017/RU-III

*Handwritten signature*

*Discussed today, DDC  
Pl. put up, as discuss*

To,  
Secretary,  
Ministry of Social Justice and Empowerment,  
Shastri Bhawan,  
New Delhi-110001

Sub: Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates to migrants from other States/Union Territories.

*11/12  
DSCC/UM*

Sir,

I am to refer to the above subject and to say that this Commission has been receiving complaints from the Scheduled Tribe individuals and their Associations regarding denial to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates to migrants from other States/Union Territories who have migrated from one state to another for the purpose of employment, education etc. by designated authorities. It has been observed that the State Governments/UT Administration have not issued any instructions to the issuing authorities for providing such certificates to the migrants from other States/UTs despite the fact that Govt. of India, Ministry of Home, vide letter no. BC-16014/1/82-SC&BCD-I dated 18-11-1982 had modified the instructions issued in letter no. BC-12025/2/76-SCT I, dated 22-03-1977 and letter No. BC-12025/11/79-SC&BCD I/IV, dated 29-03-1982 and directed that the prescribed authority of a State Government /Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe Certificate to a person who has migrated from another state, on the production of the genuine Certificate issued to his father/mother by the prescribed authority of the state of the father's/mother's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. It was also clarified that the certificate will be issued irrespective of whether the Caste/Tribe in question is scheduled or not in relation to the State /Union Territory to which the person has migrated and this facility does not alter the Scheduled Caste/Scheduled Tribes status of the person in relation to the one or the other State.

*Discussed  
Action as  
at 'x' on  
next page  
may be to  
It may be  
be checked  
whether  
MSJE  
this Ministry  
has already  
reiterated  
these  
instructions  
& state go  
earlier*

Ministry of Home, vide letter no. BC-16014/1/82-SC&BCD-I dated 06-08-1984 had further revised the form of Scheduled Caste/Tribe Certificate and clarified that the Scheduled Caste/Scheduled Tribe person on migration from the State of his origin to another State will not lose his status as Scheduled Caste/Scheduled Tribes but he will be entitled to the concessions/ benefits admissible to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes from the State of his origin and not from the state where he has migrated. It was also requested that all competent authorities may be advised under intimation to the Ministry to issue the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates on the revised form of certificate henceforth after satisfying themselves of correctness of the certificate

*11/12  
US/COE  
12/11  
DSCC/UM*

110

FTS No. 70/68  
Date 6/12/17  
Secy. (TA)

after proper verification based on the revenue records. Through reliable enquiries these instructions were reiterated vide Ministry of Home letter of even no. dated 22-02-1985 also

As some States/UTs have not issued directions to the authorities issuing SC/ST Caste certificates and in many cases, the Caste certificate issuing authorities are not aware of the above instructions, it is necessary for the Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Tribal Affairs, to reiterate the above instructions to the Chief Secretaries of all the State governments/UTs administration to remove the difficulty faced by migrant SC/ST persons in obtaining Caste/Tribe certificate. It is requested to issue suitable instructions in this regard under intimation to this Commission.

Yours Sincerely,

*S.K. Ratho*  
29.11.77  
(S.K. Ratho)

Joint Secretary to the Government of India

Copy for similar action to:

✓ Secretary,  
Ministry of Tribal Affairs,  
Shastri Bhawan,  
New Delhi-110001

(11)

(17)

No. BC-16014/1/82-SC & BCD-I  
Government of India, New Delhi  
Ministry of Home Affairs, G. B. Mantralaya

New Delhi, the 22/2/1985

To  
The Chief Secretaries of All State Govts. and U.T. Administrations.

Subject:- Issue of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe certificate to migrants from other States/Union Territories.

Sir,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education, etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided to modify the instructions issued in letter No. 12025/2/76-SCT.I dated 22.03.1977 and letter No. 12015/11/79-SC&BCD-I/IV dated 29.03.1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father by the prescribed authority of the State of the father's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the Caste/Tribe in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the Scheduled Caste/Scheduled Tribe status of the person in relation to the one or the other State. The revised form of the Scheduled Caste/Tribe certificate has already been circulated with this Ministry's letter of even number dated 06.08.1984.

2. It is also clarified that a Scheduled Caste/ tribe persons who has migrated from the State of origin to some other State for the purpose of seeking education, employment, etc. will be deemed to be a Scheduled Caste/ tribe of the State of his origin and will be entitled to derive benefits from the State of origin and not from the State to which he has migrated.

3. This letter substitutes this Ministry's letter of even number dated 18.11.1982.

Yours faithfully,

Sd/-

B.K. Sarkar  
Joint Secretary

Dated: 22.02.1985

No. BC-16014/1/82-SC & BCD-I

Copy to:-

1. Department of Personnel & A. R. (Est) (SCT Section) with the request that necessary amendment to the brochure on the reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, by incorporating, where necessary, the position started in the foregoing paragraphs may please be made.

2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi

(12)

- 4. All the Ministries/Departments, Government of India.
- 5. Secretary, Commission for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
- 6. Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes, R.K. Puram, New Delhi.
- 7. All the Sections in SC&BCD Division/T.D. Division, Ministry of Home Affairs.
- 8. All Officers in SC &BCD Division, Shastri Bhawan, New Delhi.

Sd/-  
 (B.K. Sarkar)  
 Joint Secretary

No. BC-16014/1/82-SC & BCD-I  
Government of India/Bureau of  
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, dated the 18th November, 1982

To

The Chief Secretaries to all State Governments/Union Territory Administrations.

**Subject:-** Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate to migrants from other States/Union Territories.

Sr,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education, etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided in modification of the instructions issued in letter No. BC-12025/2/76-SCT I, dated 22.03.1977 and letter No. BC-12025/11/79-SC & BCD I/ IV, dated 29.03.1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father/mother by the prescribed authority of the State of the father's/mother's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the Caste/Tribe in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the Scheduled Caste/Scheduled Tribes status of the person in relation to the one or the other State. The revised form of the Scheduled Caste/Tribe certificate is enclosed.

Yours faithfully,

Sd/-

(B.K. Sarkar)

Joint Secretary to the Govt. of India

Dated the 18th November, 1982.

No. BC-16014/1/82-SC & BCD-I,

Copy to:-

1. Department of Personnel & A. R. (Est) (SCT Section) with the request that necessary amendment to the brochure of the reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, by incorporating, where necessary, the position stated in the foregoing paragraphs may please be made.
2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi.
3. Secretary, Staff Selection Commission, CGO Complex, Block No.12, Lodi Road, New Delhi.
4. All the Ministries/Departments, Government of India.
5. Secretary, Commission for SC/ST, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
6. Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes, R.K. Puram, New Delhi.
7. All the Sections in SC&BCD Division/T.D. Division, Ministry of Home Affairs.

Yours faithfully,

Sd/-

(B.K. Sarkar)

Joint Secretary to the Govt. of India



Form of certificate to be produced by a candidate claiming to be a Scheduled Caste or Scheduled Tribes in support of his claim.

Form of Caste certificate

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari .....son/Daughter of ..... of village/town ..... indistrict/Division/Division ..... State/Union Territory ..... of ..... the ..... belongs to the ..... Caste/Tribe which is recognised as Scheduled Caste under: Scheduled Tribe

- The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951. \*
The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951. \*
(as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976).
The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.\*
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959.\*
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.\*
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.\*
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.\*
The Constitution (Scheduled Tribes)(Uttar Pradesh) Order, 1967.\*
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste Order, 1968.\*
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.\*
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.\*
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.\*
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.\*

2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Shrimati ..... of father/mother ..... of village/town ..... in District/Division ..... of the State/ Union Territory ..... who belongs to the ..... caste/tribe which is recognised as a Scheduled Caste Scheduled Tribe

in the State/Union Territory ..... issued by the ..... (name of prescribed authority) vide their No. .... dated .....

Signature ..... Designation ..... (with seal of Office)

Place ..... State Union Territory

Date ..... \*Please delete the words which are not applicable

(21)

No. 116/2025  
Government of India  
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi-110 001. Dated, New Delhi, the 22nd March 1977

To  
The Chief Secretaries of All State Governments/Union Territory Administrations.  
Subject:-- *Issue of Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates— Clarifications regarding*

Sir,  
I am directed to say that many instances have come to the notice of this Ministry wherein certificates of belonging to a particular Scheduled Caste/Tribe have not been issued strictly in accordance with the principles governing the issue of such certificates. This is presumably due to inadequate appreciation of the legal position regarding the concept of the term "residence" on the part of the authorities empowered to issue such certificates.

2. As required under Articles 341 and 342 of the Constitution, the President has, with respect to every State and Union Territory and where it is State after consultation with the Governor of the concerned State, issued orders notifying various Castes and Tribes as Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to that State or Union Territory from time to time. The inter-state area restrictions have been deliberately imposed so that the people belonging to the specific community residing in a specific area, which has been assessed to qualify for the Scheduled Caste or Scheduled Tribe status, only benefit from the facilities provided for them. Since the people belonging to the same caste but living in different State/Union Territories may not necessarily suffer from the same disabilities, it is possible that two persons belonging to the same caste but residing in different States /U.Ts may not both be treated to belong to Scheduled Caste/Tribe or *vice-versa*. Thus the residence of a particular person in a particular locality assumes a special significance. This residence has not to be understood in the literal or ordinary sense of the word. On the other hand it connotes the permanent residence of a person on the date of the notification of the Presidential Order scheduling his caste/tribe in relation to that locality. Thus a person who is temporarily away from his permanent place of abode at the time of the notification of the Presidential Order applicable in his case, say, for example, to earn a living or seek education, etc., can also be regarded as a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, as the case may be, if his caste/tribe has been specified in that Order in relation to his State/UT. But he cannot be treated as such in relation to the place of his temporary residence notwithstanding the fact that the name of his caste/tribe has been scheduled in respect of that area in any Presidential Order.

3. It is to ensure the veracity of this permanent residence of a person and that of the caste/tribe to which he claims to belong that the Government of India has made a special provision in the proforma prescribed for the issue of such certificate. In order that the certificates are issued to the deserving persons it is necessary that proper verification based primarily on revenue records and if need be, through reliable enquiries, is made before such certificates are issued. As it is only the Revenue Authorities who, besides having access to relevant revenue records are in a position to make reliable enquiries, Government of India insists upon the production of certificates from such authorities only. In order to be competent to issue such certificates, therefore, the authority mentioned in the Government of India (Department of Personnel and Administrative Reforms) letter No. 13/2/74-Ext (SCT), dated the 5th August, 1975, (copy enclosed) should be the one concerned with the locality in which the person applying for the certificate and his place of permanent abode at the time of the notification of the relevant Presidential Order. Thus, the Revenue Authority of one District would not be competent to issue such a certificate in respect of persons belonging to another district. Nor can such an authority of one State/UT issue such certificates in respect of persons whose place of permanent residence at the time of the notification of a particular Presidential Order, has been in a different State/Union Territory. In the case of persons born after the date of notification of the relevant

116

(12)

DDBC

Tribes status, is the place of permanent abode of their parents at the time of the Presidential Order under which they claim to belong to such a Caste.

4. It is understood that some State Governments/Union Territory Administrations have empowered all their Gazetted Officers to issue such certificates and even Revenue Authorities issue certificates on the basis of the certificates issued by Gazetted Officers, M.P.s and M.L.A.s etc. If such a practice is followed, there is a clear danger of wrong certificates being issued, because in the absence of proper means of verification such authorities can hardly assure the intrinsic correctness of the facts stated in such certificates. In order to check the issuance of false certificates, the question of verification assumes all the more importance.

5. All the State Governments/Union Territory Administrations are, therefore, requested to streamline their respective procedures for issuing such certificates so as to conform to the above instructions as well as to those issued from time to time. Where Revenue Authorities have been empowered to issue certificates on the basis of a certificate issued by an M.P., M.L.A, Gazetted Officer, etc., they would do so only after having made proper verifications and after having satisfied themselves of the correctness of such certificates.

Yours faithfully,

Sd/-  
(O.R. SRINIVASAN)  
Under Secretary to the Government of India  
Tel: 381843

No.BC.12025/2/76-SCT.I

March 1977  
Phalgun, 1898

Copy to:-

1. The Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of India, with reference to their U.O.No.D.2014/76-Est (SCT), dated the 8th July 1976. They are requested to make necessary amendments to the brochure on the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by incorporating, where necessary, the position stated in the foregoing paragraphs.
2. Director, Institute of Sectt. Training and Management, West Block No.1, Wing No Ramakrishnapuram, New Delhi-110022 with reference to his letter No.12/4/76-ARRNG, dated the 21st February, 1976.
3. Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.
4. All Ministries/Departments of the Govt. of India.
5. All Zonal Directors/Deputy Directors.
6. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Ramakrishnapuram, New Delhi.

Sd/-  
(O.R. SRINIVASAN)  
Under Secretary to the Government of India  
Tel: 381843

(117)

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फ्लॉक, जयपुर।  
क्रमांक : एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/15265 जयपुर दिनांक 23/2/18

परिपत्र

विधि विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ 2(48)/विधि/2/2017 जयपुर दिनांक 17.11.2017 में वर्णित राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) अधिनियम 2017 की धारा 2 डी, एफ में अति पिछड़ा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अन्तर्गत पांच जातियों यथा 1. बंजर, बालदिया, लबाना 2. गाडिया लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. साईका, रैबारी, देवासी 5. गडरिया(गाडरी), गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)/डीओपी/ए-2/2017 जयपुर दिनांक 21.12.2017 के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार जिन व्यक्तियों के अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र में यदि उक्त जातियों का अंकन किया गया हो तो उपरोक्त जातियों के व्यक्तियों को उपर वर्णित प्रावधानों के अनुसार लाभ देय होगा।

(जे.सी. महान्त)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/15266- जयपुर दिनांक 23/2/18  
366

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
- 6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज0
- 11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर, राज0
- 12) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 13) समस्त जिला कलेक्टर.....
- 14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
- 15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.....
- 16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
- 17) गार्ड फाईल।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/सान्याअवि/2012/

जयपुर दिनांक 27/02/18

संशोधित परिपत्र

राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018 के अनुक्रम में, विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(48)/विधि/2/2017 जयपुर दिनांक 17.11.2017 में वर्णित राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) आरक्षण अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 38/2017) (यथा संशोधित) की धारा 2 डी एवं एफ में अति पिछडा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अर्न्तगत पांच जातियों यथा 1.बंजारा,बालदिया,लबाना 2.गाडिया लोहार, गाडोलिया 3.गुजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी देबासी 5. गडरिया (गाडरी),गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)डीओपी/ए-2/2017 दिनांक 21.12.2017 तथा आदेश क्रमांक प.7 (1)कार्मिक/क-2/2017 जयपुर दिनांक 29.01.2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत अन्य पिछडा वर्ग में अति पिछडा वर्ग की उपरोक्त जातियों को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उभय अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।


(जे.सी. महान्ति)  
अतिरिक्त/मुख्य सचिव

क्रमांक एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/सान्याअवि/2012/15634-79 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 5) विशिष्ट सचिव/समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
- 6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज0
- 11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग जयपुर, राज0
- 12) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 13) समस्त जिला कलक्टर.....
- 14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
- 15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.....
- 16) ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बेक्सार्ईट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त संबंधित को ई-मेल करने बाबत
- 17) समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास/उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
- 18) गार्ड फाईल।

119

(डॉ. समित शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव



राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर  
क्रमांक:-एफ 11(25)/(12)(13)(14)/ओबीसी/समन्याअदि/12/ 46236 जयपुर दिनांक 12/06/18

परिपत्र

विषय- पुजारी सेवक के व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पुजारी सेवक जाति वर्ग के व्यक्तियों को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित होने के उपरान्त भी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाईया उत्पन्न हो रही है।

इस संबंध में तथ्य यह है कि पुजारी सेवक जाति को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अभिशंषा के आधार पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 69435 दिनांक 18.09.2013 द्वारा राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सर्वे /अध्ययन कर अभिशंषा रिपोर्ट में पुजारी सेवक जाति के संबंध में स्पष्ट किया है कि पुजारी सेवक जाति के लोग मंदिर में सेवा-पूजा, सफाई एवं रख-रखाव का कार्य करते है। पिछड़े वर्ग के अन्य जातियों के तुच्छ कार्य जैसे जन्म मरण व शादियों मे न्योता देने, पानी पिलाने व हलकारे आदि का कार्य भी करते है एवं जाति वर्ग के लोग आटा, दाल, अन्न आदि भी उपासकों से मांग कर जीविका चलाते है इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति ब्राह्मण वर्म से हेय है।

अतः अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक बीसी 12025/2/76 एससीटीआई दिनांक 22 मार्च 1977 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधित दिशा निर्देश दिनांक 09.09.2015 एवं 20.10.2015 के अनुसरण में जाति की पुष्टि करनी चाहिये।


तथा आवेदक की जाति की पुष्टि हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदक की स्थानीय स्तर की पूछताछ की जा सकती है एवं पूछताछ को लेखन बद्ध किया जाना चाहिये। इस प्रकार आवश्यकता होने पर आवेदक की जाति की सम्पूर्ण सामाजिक जाँच (Social investigation) होनी चाहिये। जाति के आवेदन पत्रों मे प्रमाण हेतु जो भी दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उनकी सत्यता की पूर्ण जाच-पड़ताल होना आवश्यक है तथा इनको भी सबूत के तौर पर अभिलेख में लिया जावे।

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदक को जारी किया जाने वाला पुजारी सेवक का जाति प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों, अभिलेखों, कथनों एवं रिकार्ड के आधार पर सही है तो आवेदक

द्वारा दावा की गयी पुजारी सेवक का जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करने की कार्यवाही की जानी चाहिये ;

समस्त तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को स्वयं ज्ञात पूर्ण संतुष्टि के पश्चात (After having complete satisfaction) ही जाति प्रमाण पत्र जारी करना चाहिये।


अतः जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले समस्त सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पुजारी सेवक जाति के व्यक्तियों को उपरोक्तानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी कराए।

  
(जे.सी. महांति)  
अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 11(25)/(12)(13)(14)/ओबीसी/सान्याअवि/12/46237-338 जयपुर दिनांक 12/06/18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 3) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
- 4) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 5) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 6) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग जयपुर, राज0
- 7) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 8) समस्त जिला कलेक्टर.....
- 9) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
- 10) ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधित को ई-मेल कराने हेतु
- 11) गार्ड फाईल।

(डॉ. समित शर्मा)  
विशिष्ट शासन सचिव



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक : एफ 11(125)/ओबीसी/नगारची-दमामी/आरएण्डपी/सान्याअवि/2013/4885 जयपुर दिनांक 22-06


स्पष्टीकरण परिपत्र

मंत्रीमण्डल आज्ञा संख्या 32/2018 दिनांक 26.02.2018 की अनुपालना में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(125) ओबीसी/नगारची-दमामी/ आरएण्डपी/सान्याअवि/ 2013/23378 जयपुर दिनांक 27.03.2018 द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची में क्रम संख्या 56 पर वर्तमान में प्रविष्टी नगारची-दमामी (मुस्लिम), राणा (मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम) के स्थान पर नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट) [ { इन्ही उपजातीय व अन्य उपजातीय वर्ग नामों से पहचान रखने वाले ढोली जाति/वर्ग के लोगों को छोडकर } तथा इन सभी वर्गों के गैर हिन्दू धर्मावलम्बी (जिसमें मुस्लिम धर्मावलम्बी भी सम्मिलित है) ] को सम्मिलित किया गया है।

उक्त मंत्रीमण्डल आज्ञा एवं अधिसूचना के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित ढोली जाति के कुछ व्यक्ति जो अपनी उपजातियों के रूप में नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) का उपयोग करते है, को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जाति वर्गों के व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न पत्र, परिपत्रों एवं दिशा निर्देशों के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड नगरपालिका रिकार्ड, पंचायत रिकार्ड, या शैक्षणिक रिकार्ड आदि से आवेदक की जाति की पुष्टि की जा सकती है।

दूसरा यदि ढोली जाति के व्यक्ति अपनी उपजाति के रूप में नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट) का उपयोग करते है तथा इस बात का कोई साक्ष्य/सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत करते है जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि उनकी मूल जाति तो अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित ढोली जाति ही है परन्तु उपजाति के रूप में वे नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट) जाने पहचाने जाते है तो उन्हें केवल मात्र इस आधार पर ढोली जाति के सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अन्य वर्ग भी जो ढोली जाति व इन्ही की उपजातियों से संबधित नहीं हैं और नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट) का नाम अपनी जाति के रूप में प्रयोग करते है व उक्त नामों से ही अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित है।

अतः समस्त सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार ढोली जाति की उपजातीय व अन्य उपजातीय वर्ग जैसे नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) के नाम से जाने जाते है तथा राजस्व रिकार्ड/ अन्य रिकार्ड में इस तरह का उल्लेख मिलता है तो आवेदन करने पर ढोली जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही करावे।

  
(जे.सी. महास्ति)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव



48860-960

जयपुर दिनांक

22-06-18

क्रमांक : एफ. 11(125)/ओबीसी / नगारची-दमामी / आरएण्डपी / सान्याअवि / 2013 / निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, महामाहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, / सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मंत्री / राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर / भरतपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर / जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
11. सचिव, राजस्थान अधिनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्ष।
13. सयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) सूचना प्रौद्योगिक और संचार विभाग योजना भवन जयपुर।
14. समस्त जिला कलक्टर।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास सान्याअवि।
17. समस्त जिलाधिकारी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
18. ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधित को ई-मेल कराने हेतु।
19. गार्ड फाईल।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव